प्रस्तावना

पावर फ़ाइनेंस लिमिटेड एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करता आ रहा है, जिसमें वार्षिक आधार पर राज्य विद्युत विद्युत संस्थाओं के कार्य-निष्पादन पर अनेक मुख्य वित्तीय और वास्तविक प्राचलों को समाहित किया जाता है।

मुझे इस रिपोर्ट के बारहवें संस्करण को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि विगत वर्षों की ही भांति यह रिपोर्ट सभी प्रयोक्ताओं को राज्य विद्युत विद्युत संस्थाओं के कार्य-निष्पादन पर गहन विश्लेषण प्रदान करने और साथ ही राज्य विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए शुरू किए गए विभिन्न पहल प्रयासों का अध्ययन करने के प्रयोजन से उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं इस रिपोर्ट को तैयार करने में विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य दिशा-निर्देशों और सहायता के लिए उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं।

साथ ही मैं समस्त विद्युत विद्युत संस्थाओं को अपने वार्षिक लेखे प्रदान करने तथा इस रिपोर्ट को अंतिम रूप से तैयार करने में अन्य निविष्टियां देने के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

(एम. के. गोयल)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

विषय सूची

प्रस्तावना

कार्यकारी सारांश

वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं
वास्तविक पैरामीटर्स निष्पादन की मुख्य विशेषताएं
खपत पैटर्न की मुख्य विशेषताएं

भाग - क

भूमिका

I.पृष्ठभूमि
1.0 आईपीडीएस
2.0 यूएमपीपी

भाग ख

कार्यप्रणाली और सूचना की उपलब्धता की स्थिति

I. कार्यक्षेत्र एवं कवरेज
II. निविष्टियां i
III. सूचना के संदर्भ में विद्युत संस्थाओं द्वारा प्रचालन की प्रकृति में किए जा रहे परिवर्तन
IV. कार्य प्रणाली
तालिका I : वार्षिक लेखाओं की स्थिति
तालिका II :परिभाषाएं i

भाग ग

अध्याय-1 वित्तीय प्रचलनों पर कार्य निष्पादन

1.0 भूमिका
1.1 विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व
1.2 विद्युत संस्थाओं की आय, व्यय और लाभप्रदता
1.3 विद्युत संस्थाओं का समग्र वित्तीय कार्य-निष्पादन- राज्य वार

1.4 बुक की गई एवं प्राप्त की गई सब्सिडी
1.5 एसीएस एवं एआरआर में अंतर i
1.6 व्यय के ब्यौरे

अध्याय-2 वित्तीय स्थिति
2.0 प्रस्तावना
2.1 पूंजी ढांचा
2.2 निवल मूल्य
2.3 उधर ली गई राशि
2.4 निवल अचल परिसंपातियां एवं पूंजी डब्ल्यूआईपी
2.5 पूजीगत व्यय
2.6 विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्त करने के योग्य
2.7 विद्युत की खरीदारी के लिए

अध्याय 3 लाभप्रदता और पूंजी ढांचे के अनुपात का विश्लेषण

3.0 भूमिका
3.1 इक्विटी पर आय
3.1 निवल मूल्य पर आय
3.2 नियोजित पूंजी पर आय
3.3 ऋण इक्विटी अनुपात

अध्याय-4 वास्तविक प्रचालनों का कार्य-निष्पादन

4.0 भूमिका
4.1 स्थापित क्षमता
4.2 उत्पादन
4.3 विद्युत की खरीद
4.4 विद्युत की बिक्री
4.5 सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे
अध्याय-5 खपत पैटर्न एवं राजस्व में योगदान का विश्लेषण

5.0 भूमिका

5.1 विद्युत की बिक्री
5.2 विश्लेषण में कवरेज
5.3 कृषि उपभोक्ताओं को बिक्री
5.4 औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री
5.5 संकर सब्सिडी
5.6 उपभोक्ता श्रेणी वार बिक्री

अध्याय-6 सुधारों एवं पुनर्निर्माण की स्थिति

6.0 भूमिका
6.1 सुधारों की स्थिति
तालिका **III**: सुधारों एवं पुनर्निर्माण की स्थिति

कार्यकारी सारांश

इनपुट के बतौर प्रयुक्त किए गए दस्तावेजों के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	सूचना का स्रोत (विद्युत संस्थाओं की संख्या)			
	उपयोगिताओं की कुल संख्या *	लेखा परीक्षित लेखा	अनंतिम लेखा	संसाधन योजना
2011-12	**92**	**80**	**2**	**10**
2012-13	**97#**	**81**	**6**	**10**
2013-14	**97^**	**70**	**17**	**10**

*पुनर्निर्माण और सूचना की उपलब्धता के फलस्वरूप बनी नई विद्युत संस्थाओं के ब्यौरे भाग "ख" – क्रियाप्रणाली के पैरा 3 में दिए गए हैं ।

#इसमें बीएसईबी को शामिल नहीं किया गया हैं जो कि वर्ष के आंशिक भाग में ही प्रचालन में था।

^ इसमें केएसईबी को शामिल नहीं किया गया हैं जो कि वर्ष के आंशिक भाग में ही प्रचालन में था ।

- उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत संस्थाओं की बिक्री करने के लिए सब्सिडी रहित कुल आय,वर्ष **2012-13** में 2,88,641 करोड़ रुपए रुपए से बढ़कर वर्ष **2013-14** में 3,29,278 करोड़ रूपाए हो गई जो कि वर्ष 2013-14 में **14.08%** की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्शाता है ।
- इन विद्युत संस्थाओं द्वारा बेची गई कुल ऊर्जा वर्ष **2012-13** में **6,57,248** एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष **2013-14** में **6,95,924** एमकेडब्ल्यूएच हो गई जो कि वर्ष 2013-14 में **5.88%** की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्शाती है ।
- उपभोक्ताओं को सीधे बेचे जाने वाली विद्युत संस्थाओं द्वारा लेखा-बही में दर्ज की गई कुल सब्सिडी कर वर्ष **2013-14** में घट कर **36,423** करोड़ रुपए रह गई जब कि विगत वर्ष यह **36,885** करोड़ रुपए थी । विद्युत की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व के प्रतिशत के रूप में लेखा-बही में दर्ज की गई सब्सिडी भी वर्ष 2012-13 में 12.78 **%** से घट कर वर्ष 2013-14 में 11.06 **%** रह गई ।
- राज्य सरकारों द्वारा जारी सब्सिडी, वर्ष 2013-14 में विद्युत संस्थाओं द्वारा लेखा-बही में दर्ज की गई सब्सिडी का लगभग **99%** रही है । असम, कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़ कर सभी राज्य सरकारों ने अपने से संबंधित संवितरण विद्युत संस्थाओं द्वारा लेखा-बही में दर्ज की गई लगभग समग्र सब्सिडी जारी कर दी है ।
- सभी विद्युत संस्थाओं के लिए लेखा-बही की समग्र घाटे (वास्तविक आधार पर) वर्ष 2011-12 में 72,486 करोड़ रुपए से घट कर वर्ष 2012-13 में 69,753 करोड़ रुपए और वर्ष 2013-14 में उससे भी घट कर 62,154 करोड़ रुपए रह गए हैं ।

- सभी विद्युत संस्थाओं के लिए समग्र आधार पर प्राप्त सब्सिडी के आधार पर घाटे , वर्ष 2011-12 में **76,738** करोड़ रुपए से घट कर वर्ष 2012-13 में **70,564** करोड़ रुपए और वर्ष 2013-14 में में उससे भी घट कर 62,**462** करोड़ रुपए रह गए हैं ।
- संघ शासित क्षेत्र पुद्दुचेरी सहित सभी राज्यों में सभी विद्युत संस्थाओं के लिए लेखा-बही में दर्ज समग्र घाटों में समग्र राजस्व (सब्सिडी रहित) के अनुपात के रूप में सुधार हुआ है जो कि वर्ष 2011-12 में **21.95%** से बढ़कर वर्ष 2013-14 में **21.95%**हो गया है । इसी प्रकार में समग्र राजस्व (सब्सिडी रहित) के प्रतिशत के रूप में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर समग्र घाटों में भी सुधार हुआ है जो कि वर्ष 2012-13 में **22**.21 **%** की तुलना में वर्ष 2013-14 में 17.61 **5%** हो गया है।
- समग्र आधार पर 17 राज्यों और संघ शासित क्षेत्र पुद्दुचेरी में विद्युत संस्थाओं ने विगत वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में लेखा-बही में दर्ज लाभ/ लेखा-बही में दर्ज घाटों में सुधार दर्शाया है ।
- समग्र आधार पर 17 राज्यों में विद्युत संस्थाओं ने विगत वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में लेखा-बही में दर्ज लाभ में कमी/ लेखा-बही में दर्ज घाटों में वृद्धि दर्शाई है।
- प्राप्त सब्सिडी के आधार पर अंतर वर्ष 2011-12 में 0.94 रुपए/केडब्ल्यूएच से कम हो कर वर्ष 2012-13 में 0.85 रुपए/केडब्ल्यूएच हो गया और वर्ष 2013-14 में और घट कर 0.73 रुपए/केडब्ल्यूएच हो गया ।
- निवल मूल्य निरंतर नकारात्मक रहा है और यह 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार विद्युत संस्थाओं को हुए घाटों के कारण **73,400** करोड़ रुपए से घट कर **1,06,655** करोड़ रुपए रह गया है ।
- उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत संस्थाओं की बिक्री करने के लिए विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्त करने योग्य क्षमता (दिनों की संख्या) 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार 95 दिनों से घट कर 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार 92 दिन हो गई है ।
- उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत संस्थाओं की बिक्री करने के लिए विद्युत की खरीद के लिए प्राप्त देय क्षमता (दिनों की संख्या) 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार 121 दिनों से घट कर 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार 108 दिन हो गई है ।
- उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत संस्थाओं की बिक्री करने के लिए समग्र एटी एंड सी के घाटे **(%)** वर्ष 2012-13 में 25.45**%** से घट कर वर्ष 2013-14 में 22.70 **%** रह गए हैं ।

राज्य विद्युत विद्युत संस्थाओं के वर्ष 2013-14
के
वित्तीय और वास्तविक कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

<u>वित्तीय कार्य-निष्पादन</u>

राजस्व में वृद्धि

*वर्ष 2013-14 में राज्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा की बिक्री से आय में वृद्धि **14.08%** थी जबकि इसकी तुलना में विगत वर्ष यह **19.66%** थी । पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वृद्धि के विवरण नीचे दिए गए हैं : -*

(करोड़ रुपए)

2011-12		2012-13		2013-14	
बिक्रियां	वृद्धि (%)	बिक्रियां	वृद्धि (%)	बिक्रियां	वृद्धि (%)
2,41,217	**16.01%**	**2,88,641**	**19.66%**	**3,29,278**	**14.08%**

विद्युत संस्थाओं (यूटिलिटीज - एसईबी, विद्युत विभाग, डिस्कॉम्स) जो कि सीध उपभोक्ताओं को विद्युत बेचते हैं, अर्थात विद्युत की बिक्री से प्राप्त होनेवाला राजस्व और अन्य आय जिनमें बुक की गई सब्सिडी शामिल नहीं है, का समग्र कारोबार, वित्तीय वर्ष 2013-14 में 3,17,7689 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 3,54,652 करोड़ रुपए हो गया जो कि 11.61 **%** की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष2012-13 में इन विद्युत संस्थाओं के समग्र व्यय में **15.16%** की और वर्ष 2013-14 में **7.156%** की बढोत्तरी हुई । वर्ष 2013-14 के दौरान लागत की वसूली का स्तर **77.82%** है जबकि विगत वर्ष यह **74.72%** था ।

बही-खाते में दर्ज समग्र घाटे - उपभोक्ताओं को सीधे बेची जाने वाली विद्युत संस्थाएं

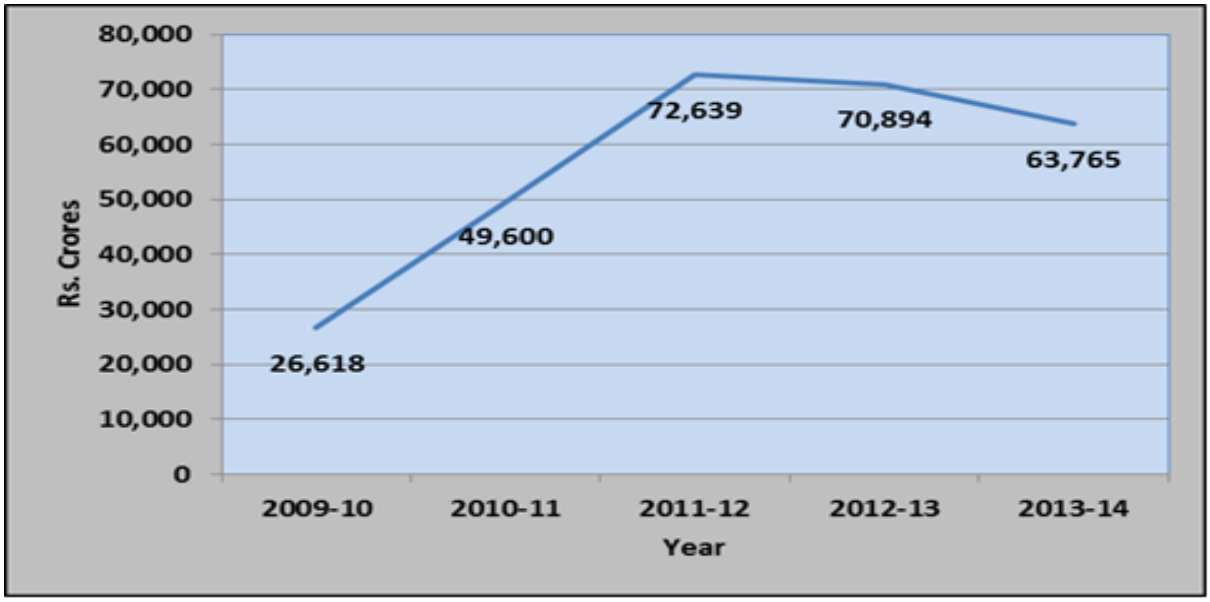

उपभोक्ताओं को सीधे बेची जाने वाली विद्युत संस्थाएं के समग्र बुक खाता घाटे वर्ष 2011-12 में 72,639 करोड़ रुपए से घट कर वर्ष 2012-13 में 70,894 करोड़ रुपए और कर वर्ष 2013-14 में 63,765 करोड़ रुपए रह गए हैं।

प्राप्त सब्सिडी के आधार पर समग्र घाटे- उपभोक्ताओं को सीधे बेची जाने वाली विद्युत संस्थाएं

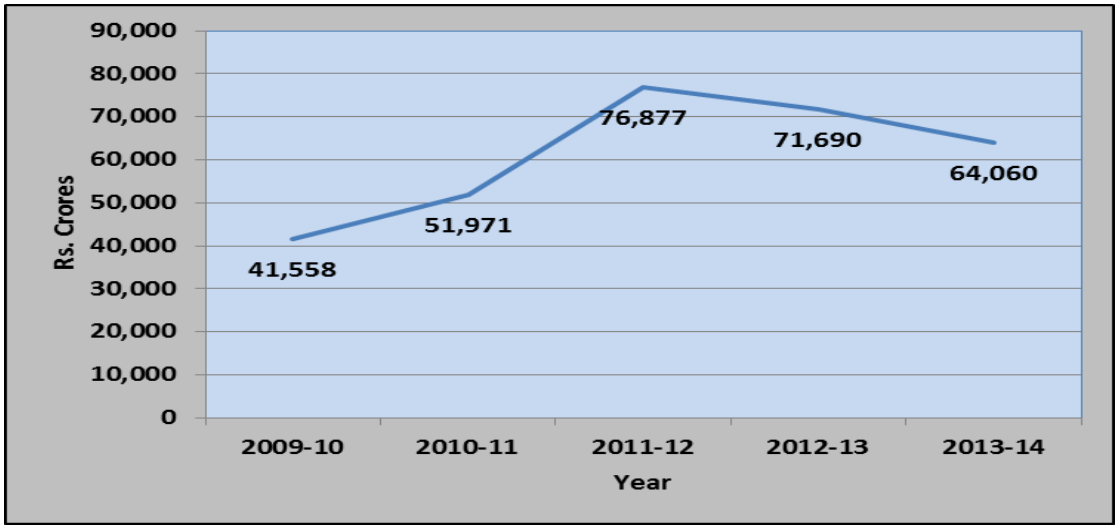

प्राप्त सब्सिडी के आधार पर समग्र घाटे वर्ष 2011-12 में 76,**877** करोड़ रुपए से घट कर वर्ष 2012-13 में 71,690 करोड़ रुपए और वर्ष 2013-14 में 64,**060** करोड़ रुपए रह गए हैं।

बही-खाते में दर्ज समग्र (लाभ) - उत्पादन, ट्रांसमिशन और व्यापारिक विद्युत संस्थाएं

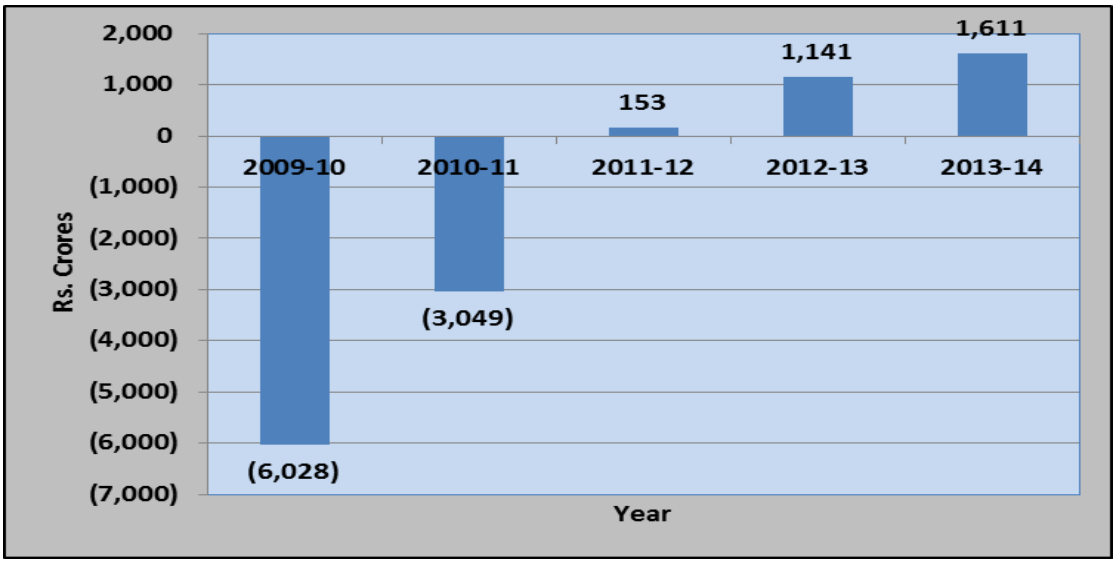

वर्ष 2011-12 में उत्पादन, ट्रांसमिशन और व्यापारिक विद्युत संस्थाओं ने 153 करोड़ रुपए का बही खाता लाभ अर्जित किया जो कि वर्ष 2012-13 में बढ़कर 1,141 करोड़ रुपए और वर्ष 2013-14 में उससे भी अधिक बढ़कर 1,611 करोड़ रुपए हो गया ।

बही-खाते में दर्ज समग्र घाटे - समस्त यूटिलिटियां

वर्ष 2011-12 में समग्र विद्युत संस्थाओं की बही-खाता घाटे, 72,486 करोड़ रुपए से घट कर खाता वर्ष 2012-13 में 69,753 करोड़ रुपए और वर्ष 2013-14 में 62,154 करोड़ रुपए रह गए हैं।

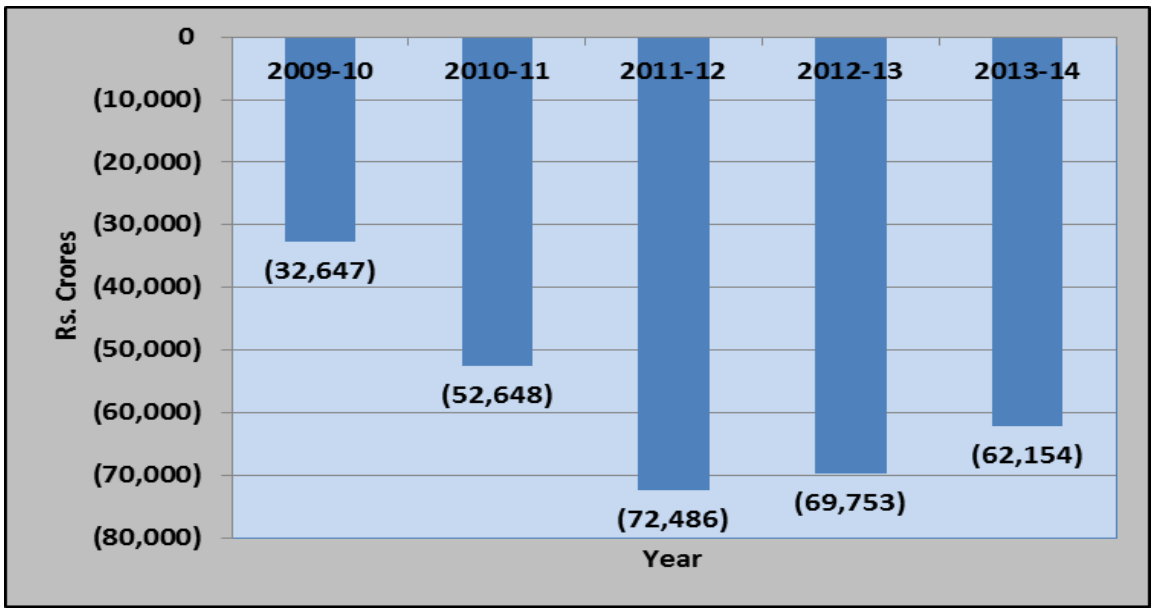

जिन राज्यों ने वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में बही-खाते में दर्ज लाभ में पर्याप्त रूप से वृद्धि (100 करोड़ रुपए से अधिक) अथवा बही-खाते में दर्ज हानियों में पर्याप्त रूप से कमी होना दर्शाया है, वे हैं : बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुद्दुचेरी, गोवा और महाराष्ट्र । जिन राज्यों ने वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में अपने बही-खाते में दर्ज लाभ/हानियों में गिरवाट (100 करोड़ रुपए से अधिक) होना दर्शाया है, वे हैं :ओडिशा, अरूणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ।

समग्र घाटे (सब्सिडी के लिए लेखाकरण किए बिना) - समस्त विद्युत संस्थाएं

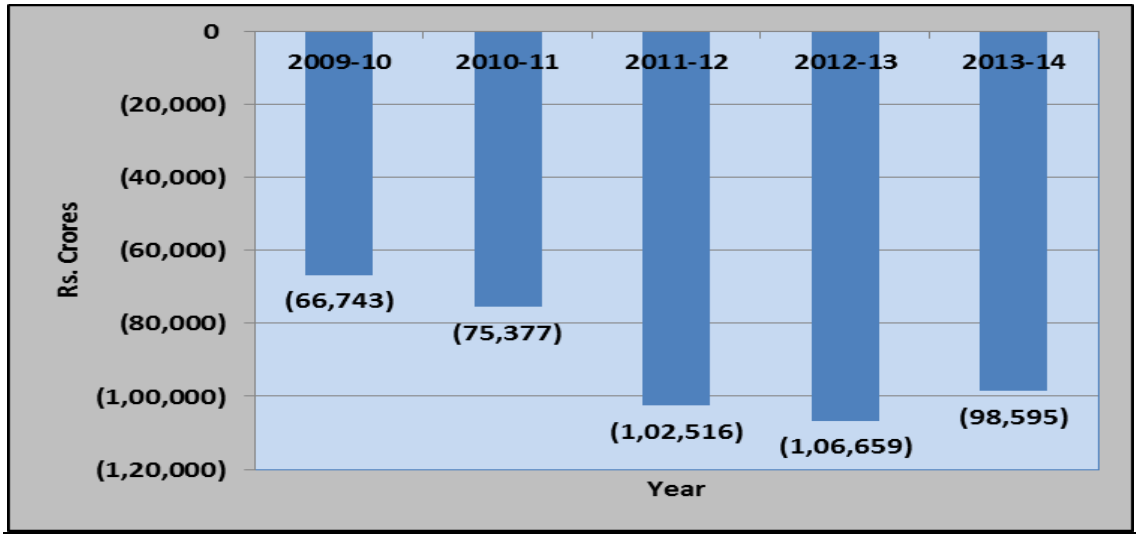

सभी विद्युत संस्थाओं के लिए समग्र घाटे (सब्सिडी को शामिल किए बिना) वर्ष 2011-12 में 1,02,516 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 1,06,659 करोड़ रुपए हो गए लेकिन वर्ष 2013-14 में यह घट कर 98,595 करोड़ रुपए रह गए ।

सकल घाटे (सब्सिडी प्राप्त आधार पर) - सभी यूटिलिटियां

सभी विद्युत संस्थाओं के लिए प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल घाटे वर्ष 2011-12 में 78,738 करोड़ रुपए से घट कर वर्ष 2012-13 में 70,564 करोड़ रुपए और वर्ष 2013-14 में यह और घट कर 62,462 करोड़ रुपए रह गए ।

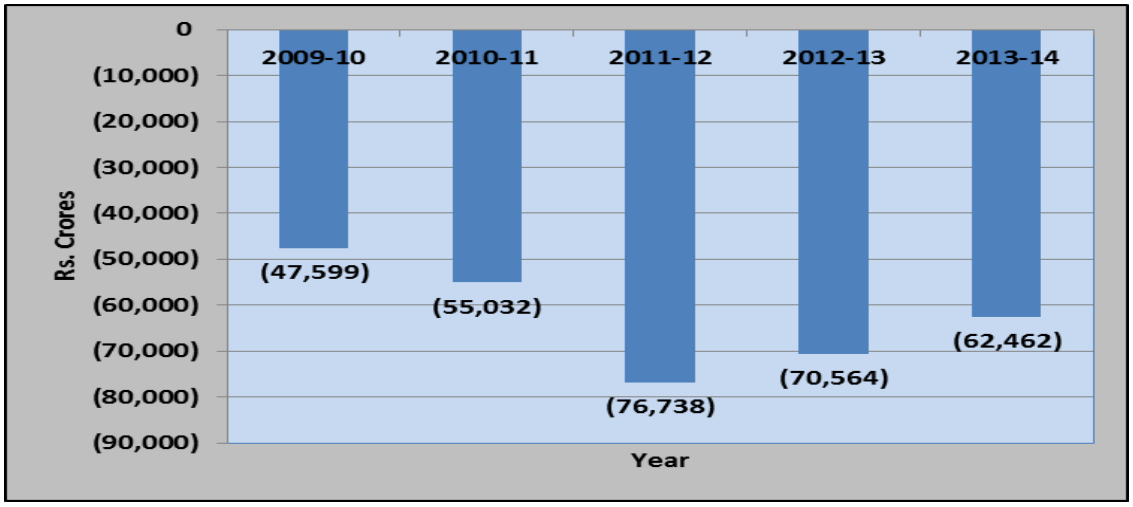

सभी विद्युत संस्थाओं के सकल राजस्व के अनुपात के रूप में लाभ

राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित क्षेत्र पुद्दुचेरी में सभी विद्युत संस्थाओं के लिए सकल राजस्व (सब्सिडी को छोड़ कर) के अनुपात के रूप में सकल बुक घाटों में सुधार आया है, जो कि वर्ष 2011-12 में 27.09 **%** से कम हो कर वर्ष 2012-13 में **21.95%** और वर्ष 2013-14 में **17.53%** हो गए । इसी प्रकार सकल राजस्व (सब्सिडी को छोड़ कर)के प्रतिशत के रूप में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल घाटे2011-12 में 28.68 **%** से कम हो कर वर्ष 2012-13 में **22**.21**%** और वर्ष 2013-14 में **17.61%** हो गए ।

अधिक हानि उठाने वाले विद्युत संस्थाओं को छोड़ कर क्षेत्र की लाभप्रदता

यदि हम एकल आधार पर चुनिंदा राज्यों से संबंधित घाटों का विश्लेषण करें तो हम समग्र क्षेत्रीय कार्य-निष्पादन की बेहतर छवि-प्राप्त कर सकते हैं । इसलिए यह देखा गया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु मध्य प्रदेश और हरियाणा ने अन्य राज्यों की तुलना में आधार पर घाटों का काफी उच्च स्तर दर्ज किया है । इन पांच राज्यों की संभूति आधार पर सकल घाटे, वर्ष 2013-14 में **56,522** करोड़ रुपए थे । इसी प्रकार प्राप्त सब्सिडी के आधार पर इनके सकल घाटे **56,609** करोड़ रुपए थे । वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य विद्युत क्षेत्र को हुए कुल घाटों (संभूति और प्राप्त सब्सिडी के आधार पर) के लगभग **91%** घाटे इन राज्यों को हुए हैं ।

करोड़ रुपए

	2011-12		**2012-13**		**2013-14**	
	संभूति के आधार पर पीएटी/ (घाटा)	प्राप्त सब्सिडी के आधार परपीएटी/ (घाटा)	संभूति के आधार पर पीएटी/ (घाटा)	प्राप्त सब्सिडी के आधार परपीएटी/ (घाटा)	संभूति के आधार पर पीएटी/ (घाटा)	प्राप्त सब्सिडी के आधार परपीएटी/ (घाटा)
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हरियाणा को छोड़ कर सभी राज्य	**(10,993)**	**(15,244)**	**(24,354)**	**(24,764)**	**(5,632)**	**(5,853)**
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हरियाणा	**(61,493)**	**(61,494)**	**(45,399)**	**(45,800)**	**(56,522)**	**(56,609)**
कुल	**(72,486)**	**(76,738)**	**(69,753)**	**(70,564)**	**(62,154)**	**(62,462)**

सब्सिडी

उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत बेचने वाले विद्युत संस्थाओं द्वारा बुक की गई सब्सिडी और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

करोड़ रुपए

	2011-12	2012-13	2013-14
बुक की गई सब्सिडी	**30,009**	**36,885**	**36,423**
जारी की गई सब्सिडी	**25,771**	**36,089**	**36,128**

विद्युत की बिक्री से राजस्व के प्रतिशत के रूप में, विद्युत संस्थाओं द्वारा बुक की गई सब्सिडी वर्ष 2011-12 में 12.44 **%** से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 12.78 **%** हो गया लेकिन वर्ष 2013-14 में इसमें कमी आई जो कि 12.44 **%** रह गया । विद्युत संस्थाओं द्वारा बुक की गई सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सब्सिडी 2011-12 में 85.88**%** से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 97.84**%**और वर्ष 2013-14 में 99.10 **%** हो गई । सभी राज्य सरकारों ने अपने संबंधित वितरण विद्युत संस्थाओं द्वारा बुक की गई लगभग समग्र सब्सिडी जारी कर दी है लेकिन इनमें असम (0.00 **%**), कर्नाटक (96.56 **%**) और तमिलनाडु (88.65 **%**) शामिल नहीं हैं ।

आपूर्ति की औसत लागत, औसत राजस्व और राजस्व में अंतर

आपूर्ति की औसत लागत, वर्ष 2011-12 में 4.55 रुपए/केडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 5.04 रुपए/केडब्ल्यूएच और वर्ष 2013-14 में 5.15 रुपए/केडब्ल्यूएच हो गई । औसत राजस्व (बुक की गई सब्सिडी पर विचार किए बिना) 2011-12 में 3.30 रुपए/केडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 3.76 रुपए/केडब्ल्यूएच और वर्ष 2013-14 में 400 रुपए/केडब्ल्यूएच हो गया ।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि के लिए राजस्व में व्याप्त अंतर नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

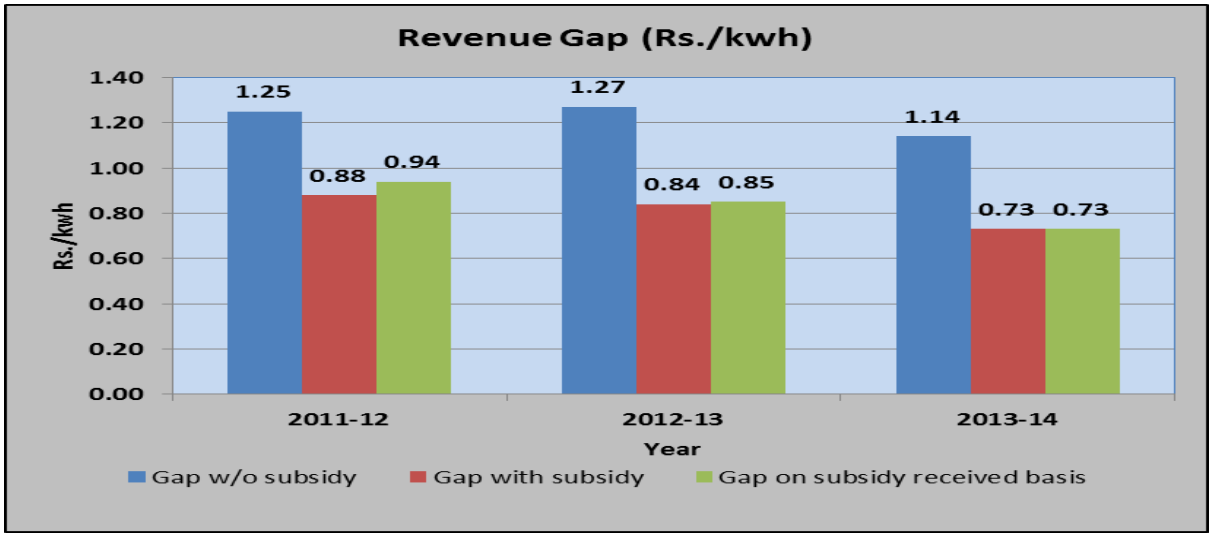

नियोजित पूंजी

इस क्षेत्र में नियोजित कुल पूंजी (विद्युत विभाग के लिए वर्ष 2001-02 से पहले निवल मूल्य को छोड़कर) वित्तीय वर्ष 2012 के अंत में 4,63,480 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013 के अंत में 5,03,428 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2014 के अंत में 5,63,**291** करोड़ रुपए हो गई ।

इस क्षेत्र में नियोजित पूंजी के लिए वित्तीय संस्थान, बैंक और बाजार निरंतर प्रमुख स्रोत बने हुए है जिनसे क्षेत्र उधार लेता रहता है । कुल नियोजित पूंजी में ऐसे उधार का अंशदान, वित्तीय वर्ष 2012 के अंत में 85**%** से बढ़कर वर्ष 2013 के अंत में 92 **%** और वर्ष 2014 के अंत में और बढ़कर 97 **%** हो गया है । राज्य सरकार के ऋण, जो कि नियोजित पूंजी में दूसरा सबसे बडा संघटक है, वित्तीय वर्ष 2012 के अंत में 11.37 **%** से घट कर वर्ष 2013 और वर्ष 2014 के अंत में 9.37 **%**रह गए हैं ।

निवल मूल्य

निवल मूल्य निरंतर नकारात्मक रहा है और यह 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार **1,73,400** करोड़ रुपए से घट कर 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार **1,06,655** करोड़ रुपए हो गया है।

निवल अचल परिसम्पतियां, पूंजीगत डब्ल्यूआईपी (सी डब्ल्यूआईपी) और पूंजीगत व्यय
निवल अचल परिसम्पतियां, 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति अनुसार **3,32,429** करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार **3,79,148** करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति अनुसार **4,41,433** करोड़ रुपए हो गई । सीडब्ल्यूआईपी सहित ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम राशि, 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति अनुसार **1,33,048** करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार **1,51,371** करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति अनुसार **1,60,318** करोड़ रुपए गई ।

वर्ष 2011-12 के दौरान पूंजीगत व्यय **71,983** करोड़ रुपए का था जो कि वर्ष 2012-13 में बढ़कर 86,943 करोड़ रुपए को हो गया लेकिन वर्ष 2013-14 में यह घट कर 83,**041** करोड़ रुपए रह गया ।

विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्त करने योग्य राशि

विद्युत संस्थाओं की कुल प्राप्त करने योग्य राशि (जिसमें बिल नहीं किया गया राजस्व शामिल नहीं है), 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार **79,116** करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2014 तक की

स्थिति अनुसार **86,072** करोड़ रुपए हो गई । विद्युत की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि की अवधि (दिनों की संख्या) वित्तीय वर्ष 2013 की तुलना में 95 दिनों से घट कर वर्ष 2014 में 92 दिन हो गई।

नीचे तालिका में उपभोक्ताओं का सीधे बेचने वाले विद्युत संस्थाओं की प्राप्तकरने योग्य राशि की स्थिति दर्शाई गई है ।

सीमा	विद्युत संस्थाओं की संख्या	
	2011-12	**2012-13**
60 दिनों से कम	**19**	**18**
60 और **90** दिनों के बीच	**9**	**11**
90 दिनों से अधिक	**27**	**26**

जेनकोस, ट्रांसकोस और ट्रेडिंग कंपनियों के लिए विद्युत की बिक्री/ट्रांसमिशन के लिए ऋण की राशि, 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार **74,567** करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति अनुसार **79,848** करोड़ रुपए हो गई । विद्युत की बिक्री/ट्रांसमिशन के लिए प्राप्त करने योग्य राशि की अवधि (दिनों की संख्या), वर्ष 2012-13 में 160 दिनों से मामूली घट कर वर्ष 2013-14 में 158 दिन हो गई ।

विद्युत की खरीदारी के लिए ऋणदाता

उपभोक्ताओं को सीधे बेचने वाले विद्युत संस्थाओं द्वारा विद्युत की खरीदारी के लिए देय राशि, 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति अनुसार 1,07,236 करोड़ रुपए से घट कर 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार 1,02,**640** करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति अनुसार यह और घट कर 1,00,034 करोड़ रुपए रह गई । विद्युत की खरीदारी के लिए लेनदारियां, वित्तीय वर्ष 2012 में 148 दिन से घट कर वित्तीय वर्ष 2013 में 121 दिन और वित्तीय वर्ष 2014 में और घट कर 108 दिन रह गई ।

<u>वास्तविक</u>

संस्थापित क्षमता, उत्पादन

- देश की कुल संस्थापित क्षमता 31 मार्च, 2014 में 2,45,259 एमडब्ल्यू की तुलना में 31 मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार **2,71,722** एमडब्ल्यू थी ।

- रिपोर्ट में निहित सूचना के अनुसार राज्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत संस्थाओं की सकल संस्थापित क्षमता में **6.66%** की वृद्धि दर्शाई है जोकि 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार **77,865** एमडब्ल्यू

से बढ़कर 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार **83,048** एमडब्ल्यू हो गई है । कुल संस्थापित क्षमता में थर्मल, हाईडल और गैस की क्षमता का योगदान क्रमश : **61 %,31 %,** और **6 %** है ।

- उत्पादन में भी मामूली वृद्धि दर्शाई है जो कि वर्ष 2012 -13 में 3,**49,907** एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2013 -14 में 3,52,138 एमकेडब्ल्यूएच हो गया । थर्मल उत्पादन निरंतर मुख्य आधार बना हुआ है जो कि वर्ष 2013-14 में कुल उत्पादन का 73 **%** भाग बनता है, जबकि कुल उत्पादन में हाईडल उत्पादन का 22**%** और गैस आधारित उत्पादन का 4**%** भाग है ।

- थर्मल उत्पादन वर्ष 2012-13 के दौरान **2,69,272** की तुलना में वर्ष 2013 -14 के दौरान **2,57,835** था ।

- वर्ष के दौरान हाईडल उत्पादन ने वृद्धि दर्शाई है जो कि वर्ष 2012-13 में 60,220 एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2013-14 में **76,756** एमकेडब्ल्यूएच हो गया है ।

तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां (एटी एवं सी)

राष्ट्रीय स्तर उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत बेचने वाले विद्युत संस्थाओं के तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों (एटी एंड सी) का औसत, वर्ष 2012-13 में **25.45%** से घट कर वर्ष 2013-14 में **22.70%** रह गए । उनकी समग्र वसूली क्षमता में वृद्धि हुई है, जो कि वर्ष 2012-13 में **94.36%** से बढ कर वर्ष 2013-14 में **97**.35 **%** हो गई ।

उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत बेचने वाले विद्युत संस्थाओं के वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों (एटी एंड सी) का क्षेत्र-वार औसत नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

%

क्षेत्र	2012-13	2013-14
पूर्वी	**42.04**	**38.02**
पूर्वोत्तर	**38.31**	**33.94**
उत्तरी	**28.89**	**24.86**
दक्षिणी	**17.40**	**19.08**
पश्चिमी	**23.36**	**18.37**
राष्ट्रीय	**25.45**	**22.70**

सभी क्षेत्रों ने तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों (एटी एंड सी) के स्तर में सुधार किया है । पश्चिमी क्षेत्र ने वर्ष 2013-14 में तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे सबसे कम दर्शाए हैं जो कि **18.37%** हैं ।

जिन राज्यों में वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे (एटी एंड सी) कम हुए हैं, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं ।

कमी की मात्रा	राज्यों की संख्या	राज्यों के नाम
0-2 %	**4**	छत्तीसगढ, असम, दिलली और मेधालय
2-4 %	**5**	गुजरात, ओडिशा, गोवा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल
4% और उससे अधिक	**8**	मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तराखंड

जिन राज्यों में वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों (एटी एंड सी) में वृद्धि हुई है, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं ।

वृद्धि की मात्रा	राज्यों की संख्या	राज्यों के नाम
0-2 %	**5**	पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा
2-4 %	**2**	त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश
4% और उससे अधिक	**6**	केरल, मिजोरम, राजस्थान, पुद्दुचेरी, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम

खपत का पैटर्न

सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बेची गई सकल ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) में वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में **5.88%** की वृद्धि दर्ज हुई है ।

कृषि उपभोक्ताओं को बिक्री

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल बेची गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) में कृषि उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा का अंश लगभग **20%** था । वर्ष 2013-14 में कुल राजस्व में कृषि उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राजस्व का अंश लगभग 8**%** था ।

औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल बेची गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) में औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेची गई एनर्जी का अंश लगभग **29%** था । वर्ष 2013-14 में कुल राजस्व में औद्योगिक उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राजस्व का अंश,लगभग 41 **%** था।

भाग "क"

भूमिका

I. पृष्ठ भूमि

विद्युत शक्ति विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि अर्थव्यवस्था का के शहरीकरण का इंधन होने के कारण उसकी औद्योगिक उन्नति करता है और जीवन के स्तर को बढाता है।

इसलिए हमारे देश में विद्युत क्षेत्र के विकास को राष्ट्रीय आयोजना और संसाधन आबंटन की प्रक्रिया में यथोचित महत्व दिया गया है ।

भारत सरकार ने ऐसे अनेक उपाय शुरू किए हैं जिनमें विद्युत वितरण में क्षेत्र संचालित कार्यक्षमता, निजी क्षेत्र की सहभागिता, प्रतिस्पर्द्धा और स्वतंत्र विनियमन की व्यवस्था निहित है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के लिए एक नोडल एजेंसी के बतौर नियुक्त किया गया है और पुनर्गठित त्वरितविद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) को अब एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) में सम्मिलित कर दिया गया है । इनकी परिचर्चा निम्नलिखित पैराओं में की गई है ।

1.0 एकीकृत विद्युत विकास योजना *(पुनर्गठित पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) को आईपीडीएस में सम्मिलित कर दिया गया है)*

शहरी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण को गति प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 3 दिसंबर, 2014 से "एकीकृत विद्युत विकास योजना" (आईपीडीएस) शुरू की है जिसके निम्नलिखित संघटक हैं:

i. शहरी क्षेत्र में सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को सुदृढ बनाना।

ii. शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफारमरों/फीडरों/उपभोक्ताओं कीमीटरिंग करना।

iii. आर-एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित परिव्यय को आईपीडीएस मे समामेलित करके **12**वीं और **13**वीं योजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वितरण क्षेत्र को आईटी समर्थ बनाना और वितरण नेट वर्क को सुदृढ बनाना।

आईपीडीएस के लक्ष्य :

(i) एटी एंड सी के घाटों को कम करना और

(ii) सभी शहरी परिवारों को विद्युत सुविधा प्रदान करना ।

परिव्यय और बजट व्यवस्था

ऊपर **(i)** और **(ii)** में उल्लिखित संघटकों का अनुमानित परिव्यय **32,612** करोड़ रुपए है जिसमें समग्र कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से दी जाने वाली **25,354** करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है ।

आर-एपीडीआरपी योजना की लागत **44,011** करोड़ रुपए है जिसमें सीसीईए द्वारा पहले से ही अनुमामदित की गई **22,727** करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है जिसे ऊपर निर्दिष्ट **(i)** और **(ii)** के संघटकों के लिए परिव्यय के अतिरिक्त आईपीडीएस की नई योजना के लिए आगे प्रयुक्त किया जाना है।

पात्र प्रयोज्यता

सभी डिस्कॉम्स जिनमें निजी क्षेत्र के डिस्कॉम्स और राज्य विद्युत विभाग भी शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे । आईपीडीएस के अंतर्गत निधियन के लिए सभी सांविधिक शहर पात्र हैं ।

निधियन पैटर्न

एजेंसी	सहायता का स्वरूप	सहायता की मात्रा (परियोजना की लागत का प्रतिशत)	
		विशेष श्रेणी के राज्यों से भिन्न राज्य	विशेष श्रेणी के राज्यों #
भारत सरकार	अनुदान	**60**	**85**
डिस्कोम का योगदान *	निजी निधि	**10**	**5**
ऋणदाता (वित्तीय संस्थान/बैंक)	ऋण	**30**	**10**
निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान	अनुदान	कुल ऋण घटक के **50%** का **(30%)** अर्थात् **15%**	कुल ऋण घटक के **50%** का **(10%)** अर्थात् **5%**
भारत सरकार से अधिकतम अनुदान (निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान सहित)	अनुदान	**75%**	**90%**

अतिरिक्त अनुदान जारी करने के लिए लक्ष्य

निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के अध्यधीन अतिरिक्त अनुदान (ऋण घटक का **50%** अर्थात् विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए **5%** और अन्य राज्यों के लिए **15%)** दिया जाएगा :

(क) निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार योजना को समय पर पूरा करना ।

(ख) राज्य सरकारों (डिस्कोम-वार) के साथ परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित प्रक्षेप-पथ के अनुसार एटी एंड सी की घाटों को कम करना ।

(ग) मीटर में दर्शाई गई खपत के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी, यदि कोई है, की अपफ्रंटरिलीज ।

मुख्य क्षेत्र :

- सब-ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली का उन्नयन
- मीटरिंग
- एनपओएफएन के अंतर्गत ऑप्टिकल फाईबर मिसिंग लिंक को पूरा करना ।
- सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा के पैनल लगाना ।
- सीईए में राष्ट्रीय विद्युत डाटा केंद्र स्थापित करना ।

30-06-2015 तक की स्थिति के अनुसार प्रगति

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 नवंबर, 2014 को योजना का अनुमोदन किया गया।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा 3 दिसंबर, 2014 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।
- योजना के प्रचालन के कार्य के लिए पीएफसी को नोडल एजेंसी के बतौर नियुक्त किया गया।
- एटी एंड सी की घाटों को कम करने के लिए राज्य सरकारों (डिस्कोम-वार) के साथ परामर्श से निर्धारित प्रक्षेप-पथ को अंतिम रूप दिया गया ।
- दिशा-निर्देशों पर परिचर्चा करने के लिए विशेष सचित (विद्युत मंत्रालय) की अध्यक्षता में 4 दिसंबर, 2014 को बैठक आयोजित की गई ।
- अनुवीक्षण समिति का गठन ।
- दिशा-निर्देशों पर परिचर्चा करने के लिए अनुवीक्षण समिति की पहली बैठक 24 दिसंबर, 2014 को आयोजित हुई ।
- 31 दिसंबर, 2014 को दिशानिर्देश नामक आवश्यकता का मूल्यांकन संबंधी दस्तावेज (टेम्पलेट) जारी किया गया और विद्युत संस्थाओं को कहा गया कि वे अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन और एनएडी तैयार करें और उसके शीघ्र बाद मंडल-वार डीपीआर बनाएं ।
- नोडल एजेंसी को विभिन्न राज्यों से 60,000 करोड़ रुपए मूल्य का मूल्यांकन संबंधी दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं और उनकी पुनरीक्षा की जा रही है । कुछ राज्यों के मूल्यांकन संबंधी दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार

और गुजरात राज्यों के विद्युत संस्थाओं से ऐसे मूल्यांकन संबंधी दस्तावेज बाद में प्राप्त हुए हैं और नोडल एजेंसी द्वारा उनकी पुनरीक्षा की जा रही है ।

- अनुवीक्षण समिति की 19 फरवरी, 2015 को हुई दूसरी बैठक में 3,252 करोड़ रुपए मूल्य की डीपीआर का अनुमोदन कर दिया गया है । उक्त राज्यों को जारी करने के लिए 31 मार्च, 2015 को विद्युत मंत्रालय द्वारा 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।
- आईपीडीएस के लिए आरईसी द्वारा मानक बोली देने का दस्तावेज,**10** जून, 2015 को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम
(आर-आरएडीआरपी)

11वीं और 12वीं योजना में आर-आरएडीआरपी

11वीं योजना के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजना के बतौर पुनर्गठित त्वरितविद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 19 सितंबर, 2008 के आदेश के अंतर्गत संप्रेषित कर दी गई थी । यह कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय द्वारा 22 दिसंबर, 2008 को आर-एपीडीआरपी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाने पर शुरू हुआ । इस योजना के पूर्ण होने की अवधि को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 6 जुलाई,**2013** के आदेश से पांच वर्ष के लिए बढा दिया गया है ।

आर-आरएडीआरपी का लक्ष्य

इस कार्यक्रम का संकेंद्रण, सही बेस लाईन डाटा का सुस्थिर संग्रहण करने और हानि में सुस्थिर कमी करने की दृष्टि से वास्तविक प्रदर्शन योग्य कार्य-निष्पादन करने के लिए विश्वसनीय और स्वचालित प्रणालियों की स्थापना करने पर है ।

इस योजना के तीन भाग हैं - भाग "क",भाग "ख" और भाग "ग"।

<u>भाग - "क"</u>

योजना का भाग "क", वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 से अधिक (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10,000 जनसंख्या) की आबादी वाले सभी शहरों में विश्वसनीय और सत्यापन योग्य बेसलाई डाटा प्रणाली बनाने के प्रयोजन से आई टी समर्थ प्रणाली की स्थापना करने के प्रति समर्पित है । भाग "क" में 4 लाख से अधिक आबादी वाले और 350 एमयू से अधिक की वार्षिक इनपुट ऊर्जा वाले शहरों में एससीएडीए/डीएमएस की स्थापना करने की भी व्यवस्था है । एससीएडीए प्रणालियों से विद्युत की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए वास्तविक समय का अनुवीक्षण करने और विद्युतीय प्राचलोंपर नियंत्रण रखना संभव होगा । भाग "क" की परियोजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत 100 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है तथा उनके पूरा होने और विद्युत मंत्रालय/नोडल एजेंसी द्वारा नियुक्त तृतीय पक्षकार स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों (टीपीआईईए) द्वारा उसका सत्यापन किए जाने पर ऐसे ऋण को अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है ।

भाग - "ख"

भाग "ख" में नियमित सब-ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन परियोजनाओं का संचालन निहित है । भाग "ख" का संकेंद्रण सुस्थिर आधार पर एटी एंड सी की हानि को कम करने पर है। भाग "ख" में उन शहरों के लिए स्वीकृति देने पर विचार किया जाता है जिनमें भाग "क" (आई टी) क्रियान्वित किया गया है । भाग "ख" के अंतर्गत 25 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है और योजना की 50 प्रतिशत लागत को अनुदान में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि में एटी एंड सी की हानि के स्तर को पांच वर्ष की अवधि (जिसमें से पहला वर्ष संबंधित परियोजना क्षेत्र की बेस-लाईन डाटा प्रणाली (भाग "क") की स्थापना किए जाने के वर्ष के बाद शुरू होने वाले वर्ष से माना जाएगा) में 15 प्रतिशत किए जाने और आर-एपीडीआरपी द्वारा निर्णीत अनुसार स्वीकृति के तीन वर्षों के भीतर परियोजना को पूरा किए जाने पर निर्भर करता है । विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भाग "ख" की परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा 90**%** ऋण प्रदान किया जाता है और भारत सरकार के ऐसे समग्र को पांच किस्तों में अनुदान में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि एटी एंड सी की हानि के स्तर को पांच वर्ष की अवधि (जिसमें से पहला वर्ष संबंधित परियोजना क्षेत्र की बेस-लाईन डाटा प्रणाली (भाग "क") की स्थापना किए जाने के वर्ष के बाद शुरू होने वाले वर्ष से माना जाएगा) में 15 प्रतिशत किए जाने पर निर्भर करेगा । किसी वित्तीय वर्ष में एटी एंड सी की हानि का स्तर 15 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने पर तदनुसार ऋण को अनुदान में परिवर्तित करना कम होगा। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भाग "ख" के लिए योजना की **10%** तक की लागत को और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए **18%** तक की लागत को अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

भाग - "ग"

भाग "ग" के माध्यम से आर-एपीडीआरपी में विद्युत संस्थाओं के कार्मिकों की क्षमता निर्माण करने और फ्रेंचाईजों का विकास करने का भी प्रावधान है । भाग "ग" के अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड सहित नवीनीकरण अपनाने वाली कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रावधान भी निहित है ।

योजना का परिव्यय

इस कार्यक्रम का आकार **51,577** करोड़ रुपए का है । भारत सरकार से 31,577 करोड़ रुपए की कुल अनुदान प्राप्त होने का अनुमान है । इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

- **50,000** करोड़ रुपए भाग "क" और भाग "ख" की परियोजनाओं के लिए:
    - **10,000** करोड़ रुपए भाग "क" के क्रियाकलापों के लिए ।

- **40,000** करोड़ रुपए भाग "ख के क्रियाकलापों के लिए (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आर एपीडीआरपी-भाग "ख" के अंतर्गत **40,000** करोड़ रुपए तक की योजनाओं की स्वीकृत करने के लिए उद्दिष्ट किए है जिसमें से **20,000** करोड़ रुपए की राशि को अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा जो कि इस पर निर्भर करेगा कि प्रयोज्यता, परियोजना क्षेत्र में एटी एंड सी के घाटे को कितना कम कर सकते हैं)।

- **1,177** करोड़ रुपए विद्युत मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले क्रियाकलापों (जिनमें नोडल एजेंसी का शुल्क, क्षमता निर्माण, नवीनीकरण का अपनाने वाली प्रायोगिक योजनाएं शामिल हैं) को पूरा करने के लिए ।

- **400** करोड़ रुपए परियोजना क्षेत्रों के प्रयोज्यता के स्टाफ को, बेसलाईन डाटा की स्थापना करने और एटी एंड सी की हानि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ।

नोडल एजेंसी

योजना का प्रचालन कार्य करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंजी के बतौर नियुक्त किया है । नोडल एजेंसी ने प्रक्रिया के परामर्शदाता को नियुक्त कर दिया है तथा आई टी परामर्शदाताओं, क्रियान्वयन एजेंसियों, एससीएडीए/डीएमएस परामर्शदाताओं, एससीएडीए की क्रियान्वयन एजेंसियों और तृतीय पक्षकार स्वतंत्र मूल्यांकन करने वाली एजेंसियों - लेखाकरण और आईटी का पेनल बना लिया है ।

<u>कार्यान्वयन की प्रगति **(30-06-2015** तक की स्थिति के अनुसार**)**</u>

<u>भाग - "क" (आईटी)</u>

भाग "क" (एससीएडी) के अंतर्गत 31 राज्यों के 55 विद्युत संस्थाओं में सभी 1412 पात्र नगरों में इन योजनाओं के लिए 5472 करोड़ रुपए के ऋण की राशि की संस्वीकृति दे दी गई है जिसमें से 2722 करोड़ रुपए की राशि संवितरित कर दी गई। सभी राज्यों (ओडिशा को छोड़ कर जहां इन योजनाओं को अभी स्वीकृत किया गया है,) के विद्युत संस्थाओं ने आई टी परामर्शदाताओं और आई टी की क्रियान्वयन एजेंसियों को नियुक्त कर दिया है तथा विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन प्रगति के चरण पर है । 953 शहरों को ("गो लिव") घोषित किया गया है ।

भाग - "क" (एससीएडीए)

भाग "क" (एससीएडी) के अंतर्गत 72 पात्र शहरों में पहले से ही स्वीकृत योजनाओं के लिए 1,556 करोड़ रुपए की संस्वीकृति दी गई है जिसमें से 455 करोड़ रुपए संवितरित कर दिए गए हैं । इनमें से अठारह राज्यों (69 शहरों) ने एससीएडी की क्रियान्वयन एजेंसियों को नियुक्त कर दिया है और शेष राज्यों ने एससीएडी की क्रियान्वयन एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए बोली देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है । 20 शहरों में एससीएडी नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं ।

भाग - "ख" के अंतर्गत प्रणाली को सुदृढ बनाने की परियोजनाएं

भाग "ख" के अंतर्गत 1259 पात्र शहरों में 32216 करोड़ रुपए मूल्य की योजनाओं को पहले से ही स्वीकृत किया गया है और अब तक 5161 करोड़ रुपए की राशि संवितरित कर दी गई है । ये योजनाएं 27 राज्यों में स्वीकृत की गई हैं । भाग "ख" के अंतर्गत जिन शहरों में ये योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, उनमें से 1081 शहरों में इनके क्रियान्वयन की मंजूरी दे दी गई है और अन्य शहर इन-हाउस/बाह्य एजेंसियों के माध्यम से इनके क्रियान्वयन की कार्रवाई कर रहे हैं । 265 शहरों में कार्य पूरा हो गया है।

आर-आरएडीआरपी के माध्यम से एटीएवं सी की हानि को कम करने का मार्ग

भाग "क" (आई टी) की परियोजनाएं वर्ष 2009 से विभिन्न शहरों में उत्तरोत्तर स्वीकृत की गई हैं और इनके पूरा होने से एटी एंड सी के घाटों को अभिज्ञात करने में मानवीय प्रयासों के बिना राजस्व और ऊर्जा के बेसलाईन डाटा की स्थापना करने के लिए विद्युत संस्थाओं में आई टी समर्थ प्रणाली की स्थपना करना संभव हो सकेगा । इन शहरो में तृतीय पक्षकार स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियां, एटी एंड सी की घाटों की बेसलाईन (अभी तक 1289 शहरों में एटी एंड सी के घाटों की बेसलाईन स्थापित की जा चुकी हैं) का मूल्यांकन करने की कार्रवाई कर रही हैं । योजना के भाग "क" (आई टी) के अंतर्गत स्थापित की गई आई टी प्रणाली के माध्यम से पांच वर्षों के लिए एटी एंड सी के घाटों में कटौती होने का मापन होने लगेगा जो कि ऐसी आई टी प्रणाली की स्थापना किए जाने के एक वर्ष बाद के शुरू होने वाले प्रथम वर्ष से होगा ।

2.0 अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी)

सरकारनेअल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की शुरूआत, भारत में व्यापक क्षमता वाली विद्युत परियोजनाएं विकसित करने के उद्देश्य से की है । लगभग 4,000 मेगा वॉट की संविदा युक्त क्षमता वाली प्रत्येक यूएमपीपी बनाने के लिए सरकार ने पीएफसी को नोडल एजेंसी के बतौर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है । इन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) में एकल स्थल पर स्थापित की जाने वाली व्यापक उत्पादन क्षमताओं के आधार पर ऐसी व्यापक अर्थव्यवस्था निहित है जो कि विद्युत पैदा करने के लिए अत्यधिक क्षमताओं और कम उत्सर्जन करने वाली तथा संभावित रूप से कम शुल्क लागत वाली अत्यंत जटिल प्रोद्योगिकी का उपयोग करती हैं और जिसके फलस्वरूप विकासकर्ताओं का चयन करने के लिए अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली लगाने की पक्रियाओं के आधार पर प्रशुल्क लगाया जाता है ।

इन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए सीईए तकनीकी सहयोगी है जबकि विद्युत मंत्रालय एक सुसाधक के रूप में शामिल है । 30 जून, 2015 तक की स्थिति के अनुसार ऐसी 16 अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं को अभिज्ञात किया गया है जो कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, गुजरात (दो), झारखंड (दो), कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा (तीन), तमिलनाडु (दो) और उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं । 30 जून, 2015 तक की स्थिति के अनुसार पीएफसी ने अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए अपनी कुल 17 पूर्णत: स्वामित्वाधीन एसपीवी को निगमित किया है । इनमें से 13 एसपीवी को प्रारंभिक स्थल जांच करने के क्रियाकलाप शुरू करने और ऐसे उपयुक्त विनियामक और अन्य अनुमोदन (जिनमें जल और पर्यावरण के अनुमोदन शामिल हैं) प्राप्त के लिए निगमित किया गया था जो कि इन परियोजनाओं की बोली लगाने की प्रक्रिया का संचालन करने के लिए जरूरी हैं। ऐसे एसपीवी को अंतत: ऐसे सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को अंतरित कर दिया जाएगा जिनका चयन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशुल्क आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा । उसके बाद सफल बोलीदाताओं से ऐसी अपेक्षा की जाएगी कि वे इन परियोजनाओं को विकसित और क्रियान्वित करें। तमिलनाडु में चैय्यार यूएमपीपी के लिए भूमि धारण करने और ओडिशा यूएमपीपी के लिए कोयला खंडों, झारखंड में देवघार यूएमपीपी और बिहार यूएमपीपी के लिए चार अतिरिक्त एसपीवी को निगमित किया गया है । इन एसपीवी को इन परियोजनाओं से विद्युत के संबंधित अधिप्राप्तकर्ताओं को अंतरित कर दिया जाएगा। इनमें से चार एसपीवी को सफल बोलीदाताओं को अंतरित कर दिया गया जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

निम्नलिखित चार एसपीवी सफल बोली दाताओं को अंतरित कर दिए गए है ।

क्रम संख्या	एसपीवी का नाम	सफल बोली दाता	अंतरण की तारीख
1	कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड, मुन्द्रा, गुजरात	दि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	**22.04.2007**
2	ससनपावर लिमिटेड, ससन, मध्य प्रदेश	रिलायन्स पावर लिमिटेड	**07.08.2007**
3	कोस्टल आन्ध्र पावर लिमिटेडकृष्णापटनम, आंध्र प्रदेश	रिलायन्स पावर लिमिटेड	**29.01.2008**
4	झारखंड इंटेगरेटिड पावर लिमिटेड तिलैया, झारखंड	रिलायन्स पावर लिमिटेड	**07.08.2009**

आंध्र प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश में दूसरी यूएमपीपी के लिए आगे कार्रवाई नहीं की जाए और इसको ध्यान में रखते हुए ही विद्युत मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि प्रस्तावित एसपीवी को बंद कर दिया जाए तथा एसपीवी को बंद करने/कंपनियों के रस्ट्रिार(आरओसी) के रिकॉर्ड में से एसपीवी का नाम काटने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है । ओडिशा और चैय्यूर यूएमपीपी के लिए कंसेशनर का चयन करने के लिए बोली देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । इसे मॉडल बोली देने के दस्तावेज के अंतर्गत सितंबर, 2013 को शुरू किया गया था लेकिन उस पर बोलीदाताओं की कम प्रतिक्रिया होने के कारण उसे समाप्त कर दिया गया था । डेवलेपरों, अधिप्राप्तकर्ताओं और ऋणदाताओं सहित विभिन्न पणधारियों (स्टेकहोल्डरों) के बीच विश्वास भावना जागृत करने तथा अत्यधिक प्रस्पिर्द्धा को प्रोत्साहन देने के लिए विद्युत मंत्रालय ने एमबीडीएस के साथ-साथ पूववर्ती एसबीडी के प्रावधानों की जांच करने के लिए 14 जनवरी, 2015 को अपने आदेश संख्या 23/27/2014-आरएवंआर के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है । इन दोनों यूएमपीपी के लिए बोली देने की प्रक्रिया मानक बोली देने के दस्तावेजों को संशोधित किए जाने और विद्युत मंत्रालय द्वारा उन्हें अधिसूचित किए जाने के बाद ही शुरू होगी। पीएफसी स्थलों का अध्ययन कार्य और बाकी यूएमपीपी के संबंध में प्रयोज्य विनियामक और अन्य अनुमतियां प्राप्त करने की कार्रवाई कर रहा है ।

भाग "ख"

कार्यप्रणाली और सूचना की उपलब्धता की स्थिति

I कार्य क्षेत्र और कवरेज

पीएफसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013 तक की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र पुद्दुचेरी के राज्य विद्युत विद्युत संस्थाओं और राज्य विद्युत विभागों तथा सुधार उपायों के परिणाम स्वरूप निर्मित की गई प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (दिल्ली और ओडिशा में डिस्कॉम्स) के कार्यों को शामिल किया गया है । रिपोर्ट में शामिल किए गए विद्युत संस्थाओं की संख्या वर्ष वर्ष 2011-12 के लिए 92 तथा वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 के लिए 97 है । रिपोर्ट में विद्युत संस्थाओं के एकीकृत प्रचालन के भाग के रूप में सिंचाई,बाढ नियंत्रण, खनन आदि जैसे कार्य शामिल नहीं हैं ।

II निविष्टियां

रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ पीएफसी के विद्युत संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए वार्षिक लेखे (लेखा परीक्षित/गैर-लेखा परीक्षित/अनंतिम) रिपोर्ट की मुख्य निविष्टियां हैं । रिपोर्ट के लिए राज्य विद्युत विभागों द्वारा पूर्ववर्ती योजना आयोग को प्रस्तुत की गई वार्षिक संसाधन योजना को सभी राज्य विद्युत विभागों (प से संबंधित एक निविष्टि के रूप में माना गया है और न कि वार्षिक लेखाओं के लिए । वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक संसाधन योजनाएं मिजोरम विद्युत विभाग (पीडी), त्रिपुरा पीडी और पुद्दुचेरी पीडी के लिए उपलब्ध थीं । शेष विद्युत विभाग नामत: मणिपुर पीडी, अरुणाचल प्रदेश पीडी, नागालैंड पीडी, सिक्किम पीडी, जम्मू और कश्मीर पीडी, तथा गोवा पीडी ने वर्ष 2013-14 के लिए अपनी वार्षिक संसाधन योजनाएं नीति/पूर्ववर्ती योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी हैं । इन विद्युत संस्थाओंके लिए पीएफसी द्वारा तैयार किए गए प्रपत्र के अनुसार इन विद्युत संस्थाओं से ऐसी सूचना सीधे प्राप्त कर ली गई है ।
जहां कहीं भी अनंतिम लेखा उपलब्ध कराए गए हैं, वे लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं तथा उनमें निहित सूचना, वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर परिवर्तित हो सकती है ।

राज्य विद्युत बोर्डों के वार्षिक लेखाओं को विद्युत आपूर्ति वार्षिक लेखा नियम (ईएसएसएआर) के अनुसार तैयार किया गया है । निगमित किए गए खंडों में विभाजित विद्युत संस्थाओं के

वार्षिक

लेखा, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई व्यवस्था अनुसार तैयार किए गए हैं । राज्य सरकार से सब्सिडी प्राप्ति, उपभोक्ता को श्रेणी-वार बेची गई विद्युत और राजस्व, एटी एंड सी की हानियों और अन्य तकनीकी ब्यौरों से संबंधित कुछ सूचना सामान्यतया निगमित खंडों में विभाजित किए गए विद्युत संस्थाओं के वार्षिक लेखाओं में नहीं दी जाती है और पीएफसी द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इन्हें पृथक रूप से प्रस्तुत करें। विद्युत संस्थाओं से लिखित रूप में अथवा मौखिक रूप से यथा संप्रेषित और प्राप्त की गई ऐसी अतिरिक्त सूचना को रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया जाता है । रिपोर्ट में एसईआरसी, कंपनी की वेबसाइट आदि पर उपलब्ध कराई गई सूचना विश्वास किया जाता है ।

कंपनी अधिनियम की संशोधित अनुसूची **VI** के अनुसार पुरानी अनुसूची **VI** की तुलना में अपेक्षाअें के प्रस्तुतीकरण और प्रकटन में अनेक परिवर्तन किए गए हैं । इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पीएफसी ने वर्ष 2012-13 से कुछ प्राचलों को संशोधित किया है जो इस प्रकार हैं **:-**

- विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्त करने योग्य आंकडों में, बिल में शामिल नहीं किए गए राजस्व शामिल नहीं है ।

- संग्रहण क्षमता का परिकलन करने के लिए सकल ऋणियों (प्रारंभिक और अंतिम मूल्य) में, बिल में शामिल नहीं किए गए राजस्व शामिल नहीं है । वर्ष 2011-12 में बिल में शामिल नहीं किए गए राजस्व को संग्रहण क्षमता का परिकलन करने के लिए सकल ऋणियों में शामिल किया गया था ।

- वर्ष 2012-13 के लिए और उसके बाद की एटी एंड सी की हानियों को संशोधित विकध द्वारा परकलित अनुसार संग्रहण क्षमता का प्रयोग करके परिकलित किया गया है ।

- ऋणों की वर्तमान परिपक्व राशि को कुल बकाया ऋणों में शामिल किया गया है ।

तथापि, वर्ष 2011-12 के लिए इन प्राचलों के निरूपण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है

निविष्टियों की उपलब्धता की स्थिति को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न तालिका-**I** में दिए गए हैं ।

III सूचना के संदर्भ में विद्युत संस्थाओं द्वारा प्रचालन की प्रकृति में किए जा रहे परिवर्तन

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) को 1 नवंबर, 2012 से चार प्रचालनात्मक स्वतंत्र विद्युत संस्थाओं में वर्गीकृत कर दिया गया है जैसे कि बिहार स्टेट पावर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल), नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीएसपीजीसीएल) ।

मेघालय एसईबी (एमईएसईबी) को 1 अप्रैल, 2010 से खंडों में विभाजितकर दिया गया है । इसके परवर्ती कॉर्पोरेशन,मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईईसीएल) को वर्ष 2011-12 के लिए सभी तीन कार्य नामत: वितरण, उत्पादन और ट्रांसमिशन सौंपे गए थे । लेकिन वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 के लिए परवर्ती मेघालय पावर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एमईपीजीसीएल), मेघालय पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमईपीटीसीएल) और मेघालय पावतर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमईपीटीसीएल) के लिए डाटा, इन विद्युत संस्थाओं के अनंतिम वार्षिक लेखाओं पर आधारित हैं ।

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को 1 अप्रैल, 2010 से खंडों में विभाजित कर दिया गया है । इसके दो उत्तरवर्ती प्रयोज्यता, नामत: पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूश्न के कार्यों के लिए) और पंजाब स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसटीसीएल) हैं । पंजाब स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसटीसीएल) को उनसे लेखा/सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण रिपोर्ट के विगत दो संस्करणों में शामिल नहीं किया गया था । वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए पीएसटीसीएल के वार्षिक लेखा अब प्राप्त हो गए हैं और इसलिए प्रयोज्यता ने इन्हें इस रिपोर्ट में शामिल कर लिया है ।

वर्ष 2013-14 के दौरान केएसईबी को 1 नवंबर, 2013 से निगमित कर लिया गया है और अब इसे केएसईबी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है । इन दोनो विद्युत संस्थाओं से अनंतिम लेखा और संबद्ध रिकॉर्ड प्राप्त हो गए हैं और इन्हें रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है ।

जेएसईबी को 15 जनवरी, 2014 से खंडों में विभाजित कर दिया गया है । जेएसईबी से 1 अप्रैल, 2013 से 5 जनवरी, 2014 तक की अवधि के लिए अनंतिम लेखा प्राप्त हो गए हैं । तथापि, किसी भी उत्तरवर्ती प्रयोज्यता की 6 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए कोई सूचना उपलब्ध है ।

IV कार्यप्रणाली

उपलब्ध सूचना को, जैसा भी उपयुक्त समझा गया है, प्रयोज्यता-वार अथवा राज्य-वार विश्लेषित किया गया है । क्षेत्र-वार कुल/औसत को, जहां कहीं भी उपयुक्त है, निर्दिष्ट किया गया है ताकि क्षेत्रों के बीच अंतर किया जा सके । रिपोर्ट में वर्ष 2013-14 पर विशेष ध्यान संकेन्द्रित करते हुए वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि के लिए विद्युत विद्युत संस्थाओं के कार्य-निष्पादन को शामिल किया गया है । रिपोर्ट में नकारात्मक आंकडों को कोष्ठकों में दर्शाया गया है ।

यह नोट किया जा सकता है कि सभी राज्यों में अनेक उपभोक्ताओं को अभी भी विद्युत मीटरों की व्यवस्था नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अनेक मामलों में उनके वार्षिक लेखाओं में सूचना उपलब्ध नहीं है और इसे विद्युत संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की श्रेणी-वार बिक्रियों से संबंधित सूचना का उपयोग करते समय अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी ।

उपभोक्ताओं को विद्युत की सीधी बिक्री करने वाले विद्युत संस्थाओं के लिए एटी एंड सी की हानियों का परिकलन करने की कार्यप्रणाली सीईए के परामर्श से बनाई गई है । इस संशोधित कार्य प्रणाली के अनुसार निविष्टि ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) को, ट्रांसमिश्न के घाटों (एमकेडब्ल्यूएच) और व्यवसायिक ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) के लिए समायोजित किया गया है ।

यह नोट किया जा सकता है कि सभी राज्यों में अनेक उपभोक्ताओं को अभी भी विद्युत मीटरों की व्यवस्था नहीं की गई है और उनकी एटी एंड सी की हानियों का परिकलन करने के लिए पर्याप्त सूचना उनके वार्षिक लेखाओं में उपलब्ध नहीं है । ऐसी सूचना को इनके विद्युत संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है । इसलिए एटी एंड सी की हानियों से संबंधित सूचना का उपयोग करते समय अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी ।

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में वास्तविक और वित्तीय प्राचलों पर क्षेत्रीय कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए राजस्व अंतर का विश्लेषण और जैसेकि प्राप्त करने योग्य स्तर, इक्विटी के ऋण, इक्विटी पर आय,निवल मूल्य, नियोजित पूंजी आदि जैसे अन्य प्रमुख वित्तीय संकेतक की सूचना निहित है ।

विभिन्न तकनीकी शब्दों/प्राचलों को संलग्न तालिका-**II** में परिभाषित किया गया है ।

तालिका-I : वार्षिक लेखाओं की स्थिति

क्षेत्र	राज्य	प्रयोज्यता	2011-12	2012-13	2013-14
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	अ	अ	
		बीएसपीजीसीएल	-	ले. प.	ले. प.
		बीएसपीटीसीएल	-	ले. प.	ले. प.
		एनबीपीडीसीएल	-	ले. प.	ले. प.
		एसबीपीडीसीएल	-	ले. प.	ले. प.
	झारखंड	जेएसईबी को 5.1.2004 से खंडों में विभाजित कर दिया गया है	ले. प.	ले. प.	अ.
	ओडिशा	जीआरआईडीसीओ	ले. प.	ले. प.	अ.
		ओपीटीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले.प .
		एनईएससीओ	ले. प.	ले. प.	अ.
		ओएचपीसी	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		ओपीजीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		एसईएससीओ	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		सीईएसयू	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		डब्ल्यूईएससीओ	ले. प.	ले. प.	ले. प.
	सिक्किम	सिक्किमपीडी	यो.आ.	यो.आ.	सूचना
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	ले. प.	ले. प.	अ.
पूर्वोत्तर	असम	एपीजीसीएल	ले. प.	ले. प.	अ.
		एईजीसीएल	ले. प.	ले. प.	अ.
		एपीडीसीएल	ले. प.	ले. प.	अ.
	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल पीडीडी	यो.आ.	यो.आ.	सूचना
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	यो.आ.	यो.आ.	सूचना
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	यो.आ.	यो.आ.	यो.आ.
	नागालैंड	नागालैंडपीडी	यो.आ.	यो.आ.	सूचना
	त्रिपुरा	त्रिपुरा पीडी/ टीएसईसीएल	यो.आ.	यो.आ.	यो.आ.
	मेघालय	**1.4.2010**से एमईईसीएल	ले. प.		
		1.4.2012से एमईपीजीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		1.4.2012से एमईपीटीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		1.4.2012से एमईपीडीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.

उत्तरी	दिल्ली	दिल्ली ट्रांसको	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		इन्द्रप्रस्थ	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		टीपीडीडीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		बीएसईएस राजधानी	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		बीएसईएस यमुना	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		प्रगति	ले. प.	ले. प.	ले. प.
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लिमिटेड	ले. प.	ले. प.	अ
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	ले. प.	ले. प.	अ
		एचपीजीसीएल	ले. प.	ले. प.	क
		एचवीपीएनएल	ले. प.	ले. प.	अ
		यूएचबीवीएनएल	ले. प.	ले. प.	प.
	जम्मू और कश्मीर	जे एवं के पीडीसीएल	अ	अ	अ
		जे एवं के पीडीडी	यो.आ.	यो.आ.	सूचना
	पंजाब	पीएसपीसीएल	ले. प.	ले. प.	अ
		पीएसटीसीएल	ले. प.	ले. प.	अ
	राजस्थान	एवीवीएनएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		जेडीवीवीएनएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		जेवीवीएनएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		आरआरवीपीएनएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		आरआरवीयूएनएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
	उत्तर प्रदेश	यूपीजेवीएनएल	ले.प .	अ.	अ.
		यूपीपीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		यूपीआरवीएनएल	ले. प.	ले. प.	P
		यूपीपीटीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		एमवीवीएनएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		पूर्वावीवीएनएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		पश्चिम वीवीएनएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		डीवीवीएनएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		केईएससीओ	ले. प.	ले. प.	ले. प.
	उत्तरांचल	यूटीपीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		यूटी ट्रांस्को	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		यूजेवीएनएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
दक्षिणी	आन्ध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		एपीईपीडीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		एपीजीईएनसीओ	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		एपीएनडीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.

		एपीएसडीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		एपट्रांस्को	ले. प.	ले. प.	ले. प.
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		जीईएससीओएम	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		एचईएससीओएम	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		केपीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		केपीटीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		एमईएससीओएम	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		चामुंडेश्वरी डीआईएससीओएम	ले. प.	ले. प.	ले. प.
	केरल	केएसईबी को **1.11.2013** से बंडित कर दिया गया है	ले.प.	अ.	अ.
		केएसईबी लिमिटेड को **1.11.2013** से बंडित कर दिया गया है			अ.
	पुद्दुचेरी	पुद्दुचेरी पीडी	यो.आ.	यो.आ.	यो.आ.
		पुद्दुचेरी पीसीएल	यो.आ.	यो.आ.	यो.आ.
	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		टीएएनटीआरएएनएससीओ	ले. प.	ले. प.	ले. प.
पश्चिमी	छत्तीसगढ	सीएसपीजीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		सीएसपीटीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		सीएसपीडीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
	गोवा	गोवा पीडी	यो.आ.	यो.आ.	यो.आ.
	गुजरात	पीजीवीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		डीजीवीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		एमजीवीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		यूजीवीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		जीईटीसीओ	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		जीएसईसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		जीयूवीएनएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
	मध्य प्रदेश	एमपीपीटीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.

		एमपीपीजीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
	महाराष्ट्र	एमएसईटीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		एमएसईडीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.
		एमएसपीजीसीएल	ले. प.	ले. प.	ले. प.

टिप्पणियां : लेखा परीक्षित *पी* : अनंतिम *यो.आ.* : योजना आयोग संशाधन योजना *सूचना*: सूचना

टिप्पणी: मेघालय एसईबी (एमईएसईबी को 1 अप्रैल, 2010 से खंडों में विभाजित कर दिया गया है। तथापि, प्रयोज्यता द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तरवर्ती विद्युत संस्थाएं मेघालय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईईसीएल) के वार्षिक लेखा वर्ष 2011-12 के लिए हैं, जो कि उसके तीनों कार्यों नामत: वितरण, उत्पादन और ट्रांसमिशन के लिए हैं । उत्तरवर्ती तीनों विद्युत संस्थाओं नामत: मेघालय पावर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एमईपीजीसीएल), मेघालय पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमईपीटीसीएल) और मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमईपीडीसीएल) के लिए डाटा उनके अनंतिम वार्षिक लेखाओं पर आधारित हैं ।

टिप्पणी: वर्ष 2013-14 के दौरान केएसईबी को निगमित कर दिया गया है और अब यह नवंबर, 2013 से केएसईबी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है । संबद्ध अवधि के लिए इसके अनंतिम लेखा और सूचना दोनो विद्युत संस्थाओं से प्राप्त हो गई है और उसे रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है ।

टिप्पणी: जेएसईबी को 5 जनवरी, 2014 को खंडों में विभाजित कर दिया गया था । 1 अप्रैल, 2013 से 5 जनवरी, 2014 तक की अवधि के लिए जेएसईबी के लिए उसके अनंतिम लेखा प्राप्त हो गए हैं । तथापि, 6 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए किसी भी उत्तरवर्ती प्रयोज्यता से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

तालिका **II:** परिभाषाएं

	प्रचाल		परिभाषा
1	पीएलएफ (थर्मल) **(%)**	=	सृजित ऊर्जा (एमकेडब्यूएच)(थर्मल) **x** 10^5 संस्थापित क्षमता (थर्मल) (मि.वाट) **x 8,760**
2	कुल निविष्टि ऊर्जा (एमकेडब्यूएच)		
	• एसईबी/पीडी के लिए	=	सृजित ऊर्जा (एमकेडब्यूएच) - अनुषंगी खपत (एमकेडब्यूएच)**+** क्रीत ऊर्जा (एमकेडब्यूएच) क्रीत ऊर्जा (एमकेडब्यूएच) **+** निवल उत्पादन (एमकेडब्यूएच), यदि कोई है । क्रीत ऊर्जा (एमकेडब्यूएच) **+** निवल उत्पादन (एमकेडब्यूएच), यदि कोई है अथवा कुल चक्रित ऊर्जा
	• डिस्कॉम्स/ट्रेडिंग कंपनियों के लिए	=	
	• ट्रांस्को के लिए	=	
3	एसईबी/<u>पीडी/डिस्कोम</u> के लिए एटी एंड सी हानियां **(%)**		
	• निवल निविष्टि ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच)	=	कुल निविष्टि ऊर्जा (ट्रांसमिशन की हानियों और व्यवसायिक ऊर्जा के लिए समायोजित)
	• ऊर्जा की निवल बिक्री (एमकेडब्ल्यूएच)	=	बेची गई कुल ऊर्जा (व्यवसायिक ऊर्जा के लिए समायोजित)
	• ऊर्जा की बिक्री से निवल राजस्व (करोड़ रुपए)	=	ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त निवल राजस्व (व्यवसायिक ऊर्जा से प्राप्त राजस्व के लिए समायोजित)
	• क्षमता संग्रहण **(%)**	=	ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त निवल राजस्व **-** विद्युत की बिक्री के <u>लिए ऋणियों में परिवर्तन **x100**</u> ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त निवल राजस्व
	• प्राप्त की गई ऊर्जा (एमकेडब्यूएच)	=	ऊर्जा की निवल बिक्री (एमकेडब्यूएच) **x** क्षमता संग्रहण
	• एडीएवंसी की हानियां **(%)** (एसईबी/पीडी/डिस्कोम के लिए)	=	निवल निविष्टिऊर्जा (एमकेडब्यूएच) **-** प्राप्तऊर्जा <u>(एमकेडब्यूएच) **x 100**</u> निवल निविष्टिऊर्जा (एमकेडब्यूएच)

	प्रचाल		परिभाषा
4	अनुषंगी खपत (%)	=	अनुषंगी खपत (एमकेडब्यूएच) x100 कुल उत्पादन (एमकेडब्यूएच)
5	कुलआय	=	विद्युत की बिक्री से आय + सब्सिडी को छोड़ कर अन्य आय
6	सब्सिडी के बिना पीएटी	=	पीएटी-बुक की गई सब्सिडी
7	नकद लाभ	=	कर पश्चात लाभ +मूल्य ह्रास + वट्टे खाते डाले गए विविध व्यय + आस्थगित कर
8	नकद लाभ (प्राप्त सब्सिडीके आधार पर)	=	नकद लाभ -बुक की गई सब्सिडी + प्राप्त सब्सिडी
9	नकद लाभ (सब्सिडी/राजस्व के आधार पर)	=	नकद लाभ - बुक की गई सब्सिडी + प्राप्त सब्सिडी+ विद्युत बिक्री के लिए ऋणियों में परिवर्तन
10	निवल मूल्य	=	इक्विटी + रिजर्व + लेखा लाभ/हानियां - बद्दे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय
11	नियोजित पूंजी	=	निवल मूल्य + कुल ऋण + उपभोक्ताओं का योगदान + अनुदान
12	विद्युत के लिए बिक्री के लिए ऋणी	=	विद्युत कीबिक्री के लिए ऋणी - संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान
13	विद्युत के लिए बिक्री के लिए ऋणी (दिनों की संख्या)	=	विद्युत की बिक्री के लिए ऋणीx 365 विद्युत बिक्री से प्राप्त राजस्व
14	विद्युत की खरीद के लिए ऋणदाता	=	विद्युत की बिक्री के लिए ऋणीx 365 विद्युत की खरीद पर व्यय
15	वर्ष के दौरान कुल व्यय	=	सकल अचल डब्ल्यूआईपी + पूंजी डब्ल्यूआईपी + ठेकेदार को अग्रिम- प्रारंभिक सकल अचल परिसंपत्तियां -प्रारंभिक पूंजी डब्ल्यूआईपी - ठेकेदार को प्रारंभिक अग्रिम
16	इक्विटी पर आय (%)	=	कर-पश्चात लाभ x 100 इक्विटी
17	निवल मूल्य पर आय (%)	=	कर-पश्चात लाभ x 100 निवल मूल्य
18	नियोजित पूंजी पर आय (%)	=	ब्याज पूर्व लाभ x100 नियोजित पूंजी

	प्रचाल		परिभाषा
19	ऋण इक्विटी अनुपात	=	कुल ऋण निवल मूल्य
20	आपूर्ति की औसत लागत (रुपए/केडब्यूएच)	=	कुल व्यय कुल निविष्टि ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)
21	औसत राजस्व (रुपए/केडब्यूएच)	=	विद्युत की बिक्री से राजस्व (सब्सिडी को छोड़ कर) +अन्य आय कुल इनुपट ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)
22	अंतर (रुपए/केडब्ल्यूएच)	=	एसीएस - औसत राजस्व (रुपए/केडब्ल्यूएच)

- आय/लाभ और लाभप्रदता के अनुपात और सब्सिडी के बिना, बुक की गई सब्सिडी अथवा प्राप्त हुई सब्सिडी के बीच अंतर का परिकलन करने के लिए आय/लाभ/अंतर को बुक की गई सब्सिडी और प्राप्त हुई सब्सिडी, जैसी भी स्थिति है, समायोजित कर दिया गया है ।

- इस तालिका को भाग" ख - "कार्यप्रणाली के सहयोजन से पढ़ा जाए ।

भाग "ग"

अध्याय 1

वित्तीय प्रचालों पर कार्य निष्पादन

1.0 भूमिका

जीवन स्तर में सुधार लाने और विकास के अवसरों को बढाने के लिए विद्युत की अत्यावश्यकता होती है । अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास होने से विद्युत शक्ति की अत्यधिक मांग होने लगी है । इसे और कार्यक्षम और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए विद्युत क्षेत्र में अनेक वर्षों से सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं । इस भाग में विद्युत क्षेत्र के वित्तीय कार्य-निष्पादन का उल्लेख किया गया है ।

1.1 विद्युत की बिक्री से राजस्व

उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत बेचने वाले राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी), राज्य विद्युत विभागों और डिस्कॉम्स की विद्युत की बिक्री से प्राप्त सकल राजस्व वर्ष 2011-12 में **2,41,217** करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2012-13 में **2,88,641** करोड़ रुपए और वर्ष 2013-14 में और बढ़कर **3,29,278** करोड़ रुपए हो गया जो कि वर्ष 2012-13 में 19.66**%** तथा वर्ष 2013-14 में 14.08 **%** की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्शाता है ।

इन विद्युत संस्थाओं द्वारा बेची गई कुल ऊर्जा, वर्ष **201112** में **6,24,951** केडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 13-2012 में **6,57,248** केडब्ल्यूएच और वर्ष 2013-14 में बढ़कर **6,95,924** केडब्ल्यूएच हो गई जो कि वर्ष 2012-13 में **5.17%** और वर्ष 2013-14 में **5.88%** वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्शाती है ।

वर्ष 2013-14 के दौरान विद्युत की बिक्री और बेची गई ऊर्जा (केडब्ल्यूएच) से राजस्व में हुई क्षेत्र-वार वृद्धि की दर नीचे तालिका में दी गई है :

	2013-14	
क्षेत्र	बेची गई ऊर्जा में वृद्धि (एमकेडब्ल्यूएच) (%)	राजस्व में वृद्धि (%)
पूर्वी	**1.83**	**-3.52**
पूर्वोत्तर	**11.98**	**12.53**
उत्तरी	**6.68**	**20.92**
दक्षिणी	**8.56**	**16.82**
पश्चिमी	**3.32**	**11.19**
कुल	**5.88**	**14.08**

पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़ कर सभी क्षेत्रों में बेची गई ऊर्जा (केडब्ल्यूएच) की तुलना में विद्युत की बिक्री (करोड़ रुपए) से राजस्व में हुई अत्यधिक वृद्धि से पता चलता है कि शुल्क द्वारा वसूली में सुधार हुआ है ।

उपरोक्त अनुसार विद्युत की बिक्री में राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी, मीटर का किराया, चक्रांग (व्हीलिंग) और अन्य प्रभार शामिल नहीं हैं ।

(अनुबंध 1.1.0)

1.2 विद्युत संस्थाओं की आय, व्यय और लाभप्रदता

1.2.1 प्रयोज्यताओ द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बेचना

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाले विद्युत संस्थाओं का सकल कारोबार (जिसमें बही-खाते में दर्ज सब्सिडी को छोड़ कर विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व और अन्य आय शामिल है) वर्ष **2012-13** में **18.76%** और वर्ष **2013-14** में **11.61%** की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्शाता है ।

इन विद्युत संस्थाओं का सकल व्यय, वर्ष **2012-13** में **15.16%** और वर्ष **2013-14** में **7.15%** की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता हुआ है । लागत की वसूली (मूल्यह्रास सहित) नीचे तालिका में दर्शाई गई है :-

	2011-12	2012-13	2013-14
सब्सिडी रहित कुल आय (करोड़ रुपए)	**2,67,567**	**3,17,768**	**3,54,652**
कुल व्यय (करोड़ रुपए)	**3,69,293**	**4,25,294**	**4,55,714**
लागत की वसूली (%)	**72.45%**	**74.72%**	**77.82%**

इन विद्युत संस्थाओं के बही-खाते में दर्ज सकल घाटे, वर्ष **2011-12** में **72,639** करोड़ रुपए से घट कर वर्ष **2012-13** में **70,894** करोड़ रुपए और वर्ष **2013-14** में और घट कर **63,765** करोड़ रुपए रह गए ।

प्राप्त हुई सब्सिडी के आधार पर सकल घाटे, वर्ष **2011-12** में घट कर **76,877** करोड़ रुपए और वर्ष **2012-13** में **71,690** करोड़ रुपए तथा वर्ष **2014-14** में और घट कर **64,060** करोड़ रुपए रह गए ।

इन विद्युत संस्थाओं के लिए सब्सिडी पर विचार किए बिना सकल घाटे, वर्ष **2011-12** में **1,02,649** करोड़ रुपए से बढ कर वर्ष **2012-13** में **1,07,779** करोड़ रुपए हो गए लेकिन वर्ष **2014-14** में घट कर **1,00,188** करोड़ रुपए रह गए ।

(अनुबंध **1.2.1**से **1.2.3)**

1.2.2 जेनकोस/ट्रांकोस/ट्रेडिंग कंपनियां

इन विद्युत संस्थाओं का सकल कारोबार (सब्सिडी को छोड़ कर कुल आय) वर्ष **2011-12** में **1,54,907** करोड़ रुपए, वर्ष **2012-13** में **1,74,736** करोड़ रुपए और वर्ष **2013-14** में **1,88,458** करोड़ रुपए था ।

इन विद्युत संस्थाओं ने बही-खाते में दर्ज सकल लाभ, वर्ष **2011-12** में 153 करोड़ रुपए अर्जित किया जो कि वर्ष **2012-13** में बढ़कर **1,141** करोड़ रुपए और वर्ष **2013-14** में और बढ़कर **1,611** करोड़ रुपए हो गया ।

(अनुबंध **1.3.1.** से **1.3.3)**

1.3 विद्युत संस्थाओं का समग्र वित्तीय कार्य-निष्पादन – राज्य-वार

1.3.1 बही खाते में दर्ज लाभ/घाटे

सभी विद्युत संस्थाओं केबही खाते में दर्ज घाटे (संभूति आधार पर) वर्ष **2011-12** में **72,486** करोड़ रुपए से घट कर वर्ष **2012-13** में **69,753** करोड़ रुपए और वर्ष **2013-14** में और घट कर **62,154** करोड़ रुपए के रह गए।

जिन राज्यों ने वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में बही खाते में दर्ज लाभ में वृद्धि अथवा घाटों में कमी होने की दृष्टि से पर्याप्त सुधार (100 करोड़ रुपए से अधिक) दर्शाया है, वे हैं : बिहार, झारखंड, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुद्दुचेरी, गोवा और महाराष्ट्र ।

इसी प्रकार जिन राज्यों ने वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में अपने बही खाते में दर्ज लाभ/घाटों में गिरावट (100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक) दर्शाया है, वे हैं : ओडिशा, अरूणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ, और मध्य प्रदेश । इन राज्यों में से दिल्ली ने वर्ष **2012-13** में 939 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में वर्ष **2013-14** में 692 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया है और केरल ने वर्ष **2012-13** में 111 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में वर्ष **2013-14** में 241 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया है।

वर्ष **2013-14** के दौरान (संभूति आधार पर) लाभ अर्जित करने वाले/घाटे उठाने वाले शीर्षस्थ छः और निचले स्तर के छः राज्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष **2013-14** के दौरान (संभूति आधार पर) लाभ अर्जित करने वाले शीर्षस्थ छः राज्य हैं:

(करोड़ रुपए)

महाराष्ट्र	**1,534**
दिल्ली	**692**
पंजाब	**642**
गुजरात	**583**
पश्चिम बंगाल	**466**
उत्तराखंड	**339**

वर्ष **2013-14** के दौरान (संभूति आधार पर) घाटे उठाने वाले निचले स्तर के छः राज्य हैं :

(करोड़ रुपए)

उत्तर प्रदेश	**17,678**
राजस्थान	**15,912**
तमिलनाडु	**12,677**
मध्य प्रदेश	**6,941**
हरियाणा	**3,315**
जम्मू और कश्मीर	**2,219**

(अनुबंध **1.5.1**से **1.5.3)**

1.3.2 प्राप्त हुई सब्सिडी के आधार पर लाभ/घाटे

सभी विद्युत संस्थाओं के प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल घाटे, वर्ष **2011-12** में **76,738** करोड़ रुपए से घट कर वर्ष **2012-13** में **70,564** करोड़ रुपए और वर्ष **2013-14** में और घट कर **62,462** करोड़ रुपए रह गए ।

जबकि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों ने वर्ष **2013-14** में प्राप्त हुई सब्सिडी के आधार पर लाभ अर्जित किया है । जिन राज्यों ने वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर अपनेघाटों में पर्याप्त कमी दिखाई है, वे हैं : आंध्र प्रदेश **(15,948** करोड़ रुपए**)** और झारखंड **(1,157** करोड़ रुपए**)** । तथापि, जिन राज्यों ने प्राप्त सब्सिडी के आधार पर अपनी घाटायों में अत्यधिक वृद्धि दिखाई है, वे हैं : उत्तर प्रदेश **(4,524** करोड़ रुपए**)**, राजस्थान **(3,416** करोड़ रुपए**)**, मध्य प्रदेश **(2,472** करोड़ रुपए**)** और ओडिशा **(1,352** करोड़ रुपए**)**.

वर्ष **2013-14** में (प्राप्त हुई सब्सिडी के आधार पर) लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष छः राज्य हैं :

(करोड़ रुपए)

महाराष्ट्र	**1,534**
दिल्ली	**692**
पंजाब	**642**
गुजरात	**583**
पश्चिम बंगाल	**466**
उत्तराखंड	**339**

वर्ष **2013-14** में (प्राप्त हुई सब्सिडी के आधार पर) घाटे उठाने वाले निचले छः राज्यहैं :

(करोड़ रुपए)

उत्तर प्रदेश	**17,678**
राजस्थान	**15,926**
तमिलनाडु	**12,744**
मध्य प्रदेश	**6,947**
हरियाणा	**3,315**
जम्मू और कश्मीर	**2,219**

(अनुबंध 1.5.1 से 1.5.3)

1.3.3 लाभ/घाटे (सब्सिडी के बिना)

सभी विद्युत संस्थाओं के लिए समग्र घाटे (सब्सिडी को शामिल किए बिना) वर्ष 2011-12 में 1,**02,616** करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2012 -13 में 1,**06,659** करोड़ रुपए हो गईं, लेकिन वर्ष 2013-14 में यह घट कर 99,595 **6** करोड़ रुपए रह गए ।

वर्ष 2012 -13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तराखंड, केरल और महाराष्ट्र राज्यों ने (सब्सिडी के बिना) लाभ अर्जित किया। जिन राज्यों ने सब्सिडी के बिना अपने घाटों में विशेष कमी दिखाईं, वे हैं, आंध्र प्रदेश (15,160 करोड़ रुपए), झारखंड (1,290 करोड़ रुपए), कर्नाटक (1,200 करोड़ रुपए) और बिहार (1,111 करोड़ रुपए) ।

तथापि, सब्सिडी पर विचार किए बिना सकल आधार पर विद्युत संस्थाओं को घाटे हुए हैं जो कि इस प्रकार हैं - उत्तर प्रदेश (5,**008** करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश (2,672 करोड़ रुपए), राजस्थान (2,596 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (1,**762** करोड़ रुपए) और ओडिशा (1,352 करोड़ रुपए) ।

(अनुबंध 1.5.1 से 1.5.3)

1.3.4 वर्ष **2011-12** से **2013-14** तक की अवधि के लिए विद्युत संस्थाओं की सकल आय, व्यय और लाभप्रदता का उल्लेख नीचे किया गया है **:-**

(करोड़ रुपए)

		2011-12	2012-13	2013-14
क	आय (सब्सिडी के बिना) - विद्युत संस्थाओं द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करना	**2,67,567**	**3,17,768**	**3,54,652**
ख	व्यय (मूल्यह्रास, बट्टे खाते डाले और कर के बिना) - विद्युत संस्थाओं द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करना	**3,62,159**	**4,15,886**	**4,44,577**
ग	लाभ/(घाटा) (मूल्यह्रास, बट्टे खाते डाले बिना, सब्सिडी और कर के बिना) - विद्युत संस्थाओं द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करना (क - ख)	**(94,592)**	**(98,119)**	**(89,925)**
घ	लाभ/(घाटा) (मूल्यह्रास, सब्सिडी और कर के बिना) - जेनकोस, ट्रांसकोस और व्यापारिक प्रयोज्यता	**10,849**	**14,250**	**16,573**
ङ	सभी विद्युत संस्थाओं के लिए लाभ/(घाटा) (मूल्यह्रास, सब्सिडी और कर के बिना) (ग + घ)	**(83,743)**	**(83,869)**	**(73,351)**
च	बही-खाते में दर्ज सब्सिडी	**30,030**	**36,906**	**36,440**
छ	आय कर	**1,562**	**1,789**	**1,930**
छ1	आस्थगित कर	**751**	**935**	**(104)**
ज	सभी विद्युत संस्थाओं के लिए लाभ/(घाटा) (मूल्यह्रास, सब्सिडी और कर के बिना) (ग + घ + ङ)	**(55,275)**	**(48,751)**	**(38,841)**
झ	भुगतान नहीं गई सब्सिडी	**4252**	**812**	**308**
ञ	मूल्यह्रास और बट्टेखाते डालना	**16,460**	**20,067**	**23,417**
ट	विद्युत संस्थाओं की बही-खाते में दर्ज कुल लाभ/घाटा (ट - ञ - छ 1)	**(72,486)**	**(69,753)**	**(62,154)**
ठ	सभी विद्युत संस्थाओं की प्राप्त हुई सब्सिडी के आधार पर कुल लाभ/घाटा (ट - झ)	**(76,738)**	**(70,564)**	**(62,462)**
ड	सभी विद्युत संस्थाओं की सब्सिडी के बिना कुल लाभ/घाटा (ट - च)	**(1,02,516)**	**(1,06,659)**	**(98,595)**

1.3.5 अधिक घाटा उठाने वाले विद्युत संस्थाओं को छोड़ कर क्षेत्र की लाभप्रदता

यदि हम एकल आधार पर चुनिन्दा राज्यों से संबंधित घाटायों का विश्लेषण करें तो हम समग्र क्षेत्रीय कार्य-निष्पादन की बेहतर छवि प्राप्त कर सकते हैं । इसलिए यह देखा गया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु मध्य प्रदेश और हरियाणा ने अन्य राज्यों की तुलना में संभूति आधार पर घाटायों का काफी उच्च स्तर दर्ज किया है । इन पांच राज्यों की संभूति आधार पर सकल घाटे, वर्ष 2013-14 में **56,522** करोड रुपए थी । इसी प्रकार प्राप्त सब्सिडी के आधार पर इनकी सकल घाटे **56,609** करोड रुपए थे । वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य विद्युत क्षेत्र को हुई कुल घाटों (संभूति और प्राप्त सब्सिडी के आधार पर) की लगभग **91%** घाटे इन राज्यों को हुए हैं

(करोड़ रुपए)

	2011-12		2012-13		2013-14	
	संभूति के आधार पर पीएटी/ (घाटा)	प्राप्त सब्सिडी के आधार परपीएटी/ (घाटा)	संभूति के आधार पर पीएटी/ (घाटा)	प्राप्त सब्सिडी के आधार परपीएटी/ (घाटा)	संभूति के आधार पर पीएटी/ (घाटा)	प्राप्त सब्सिडी के आधार परपीएटी/ (घाटा)
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हरियाणा को छोड़ कर सभी राज्य	**(10,993)**	**(15,244)**	**(24,354)**	**(24,764)**	**(5,632)**	**(5,853)**
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हरियाणा	**(61,493)**	**(61,494)**	**(45,399)**	**(45,800)**	**(56,522)**	**(56,609)**
कुल	**(72,486)**	**(76,738)**	**(69,753)**	**(70,564)**	**(62,154)**	**(62,462)**

1.3.6 सकल राजस्व के अनुपात के रूप में लाभ

राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित क्षेत्र, पुद्दुचेरी में सभी विद्युत संस्थाओं के समग्र राजस्व के अनुपात के रूप में सकल बुक घाटों (सब्सिडी को छोड़ कर) में सुधार हुआ है जो कि वर्ष

2011-12 में 27.09**%** से घट कर वर्ष 2012-13 में 95 **%** और वर्ष 2013-14 में 17.53**%** हो गया है ।

इसी प्रकार समग्र राजस्व (सब्सिडी को छोड़ कर) के प्रतिशत के रूप में प्राप्त हुई सब्सिडी के आधार पर समग्र घाटों में भी सुधार हुआ है जो कि वर्ष 2011-12 में 28.68 **%** से घट कर वर्ष 2012-13 में 22.21 **%** और वर्ष 2013-14 में 17.61 **%** हो गया है ।

(अनुबंध **1.5.4** से **1.5.6)**

1.4 बुक की गई और प्राप्त हुई सब्सिडी

अनेक मामलों में वित्तीय वर्ष के दौरान बुक की गई सब्सिडी परवर्ती वर्षों में प्राप्त होती है । वार्षिक लेखाओं में उनकी सूचना निहित नहीं होने के कारण प्राप्त हुई सब्सिडी के ब्यौरे विद्युत संस्थाओं से पृथक रूप से प्राप्त किए गए हैं ।

सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाले विद्युत संस्थाओं द्वारा बुक की गई सब्सिडी वर्ष 2011-12 में 30,009 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 36**,885** करोड़ रुपए हो गई लेकिन वर्ष 2013-14 में इसमें मामूली कमी हुई है जो कि 36**,423** करोड़ रुपए थी । विद्युत की बिक्री से राजस्व के प्रतिशत के रूप में**,** विद्युत संस्थाओं द्वारा बुक की गई सब्सिडी वर्ष 2011-12 में 12.44 **%** से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 12.78 **%** हो गया लेकिन वर्ष 2013-14 में इसमें कमी आई जो कि 12.44 **%** रह गया । विद्युत संस्थाओं द्वारा बुक की गई सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सब्सिडी 2011-12 में 85.88**%** से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 97.84**%**और वर्ष 2013-14 में 99.10 **%** हो गई । सभी राज्य सरकारों ने अपने संबंधित वितरण विद्युत संस्थाओं द्वारा बुक की गई लगभग समग्र सब्सिडी जारी कर दी है लेकिन इनमें असम (0.00 **%),** कर्नाटक (96.56 **%)** और तमिलनाडु (88.65 **%)** शामिल नहीं हैं ।

1.5 आपूर्ति की औसत लागत (एसीपी) और औसत राजस्व के बीच (प्रणाली में प्रयुक्त ऊर्जा इनपुट के आधार पर) अंतर **(**रुपए/केडब्लयूएच**)**

आपूर्ति की औसत लागत वर्ष **2011-12** में **4.55** रुपए/केडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 5.04 रुपए/केडब्ल्यूएच और वर्ष 2013-14 में और बढ़कर 5.15 रुपए/केडब्ल्यूएच हो गई ।

औसत राजस्व (बुक की गई सब्सिडी पर विचार किए बिना) वर्ष **2011-12** में **3**.30 रुपए/केडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 3.76 रुपए/केडब्ल्यूएच और वर्ष 2013-14 में

4.00 रुपए/केडब्ल्यूएच हो गया । आपूर्ति की औसत लागत और सब्सिडी के बिना औसत राजस्व के बीच व्याप्त अंतर, वर्ष **2011-12** में **1**.25 रुपए/केडब्ल्यूएच, वर्ष 2012-13 में 1.27 रुपए/केडब्ल्यूएच और वर्ष 2013-14 में 1.14 रुपए/केडब्ल्यूएच हो गया । बुक की गई सब्सिडी में व्याप्त अंतर, वर्ष **2011-12** में **0**.88 रुपए/केडब्ल्यूएच से घट कर वर्ष 2012-13 में 0.84 रुपए/केडब्ल्यूएच और वर्ष 2013-14 में 0.73 रुपए/केडब्ल्यूएच रह गया । इसी प्रकार प्राप्त हुई सब्सिडी के आधार पर व्याप्त अंतर वर्ष **2011-12** में 0.94 रुपए/केडब्ल्यूएच से घट कर वर्ष 2012-13 में **0**.85 रुपए/केडब्ल्यूएच और वर्ष 2013-14 में 0.73 रुपए/केडब्ल्यूएच रह गया। नीचे दी गई तालिका में क्षेत्र-वार अंतर से संबंधित प्रवृति को दर्शाया गया है

रुपए/केडब्लयूएच

अंतर	सब्सिडी के बिना अंतर			बही-खाते में दर्ज सब्सिडी के आधार पर अंतर			प्राप्त सब्सिडी के आधार पर अंतर		
	11-12	**12-13**	**13-14**	**11-12**	**12-13**	**13-14**	**11-12**	**12-13**	**13-14**
पूर्व	**1.20**	**1.01**	**0.69**	**0.82**	**0.52**	**0.26**	**0.82**	**0.52**	**0.26**
पूर्वोत्तर	**1.69**	**1.79**	**1.50**	**1.51**	**1.61**	**1.33**	**1.64**	**1.75**	**1.46**
उत्तरी	**2.21**	**1.65**	**1.79**	**1.73**	**1.02**	**1.24**	**1.72**	**1.03**	**1.24**
दक्षिण	**1.09**	**1.88**	**1.18**	**0.58**	**1.34**	**0.65**	**0.77**	**1.36**	**0.66**
पश्चिम	**0.33**	**0.36**	**0.46**	**0.22**	**0.23**	**0.32**	**0.22**	**0.23**	**0.32**
राष्ट्रीय	**1.25**	**1.27**	**1.14**	**0.88**	**0.84**	**0.73**	**0.94**	**0.85**	**0.73**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में विद्युत संस्थाओं में कम अंतर व्याप्त है ।

(अनुबंध 1.61 से 1.6.3)

1.6 व्यय के ब्यौरे

व्यय और लागत ढांचे के ब्यौरे क्रमश: संलग्न अनुबंध **1.7.1** से **1.7.3** और अनुबंध **1.8.1** से **1.8.3** में दिए गए हैं ।

अध्याय2

वित्तीय स्थिति

2.0 भूमिका

इस भाग में वर्ष 2013-14 के लिए राज्य विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों की जांच किए जाने का उल्लेख है ।

2.1 पूंजी ढांचा

इस क्षेत्र में नियोजित कुल पूंजी (विद्युत विभाग के लिए वर्ष 2001-02 से पहले निवल मूल्य को छोड़ कर) वित्तीय वर्ष 2012 के अंत में 4,63,480 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013 के अंत में 5,03,428 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2014 के अंत में 5,63,**291** करोड़ रुपए हो गई ।

(अनुबंध **2.1.0)**

इस क्षेत्र में नियोजित पूंजी के लिए वित्तीय संस्थान, बैंक और बाजार निरंतर प्रमुख स्रोत बने हुए है जिनसे क्षेत्र उधार लेता रहता है । कुल नियोजित पूंजी में ऐसे उधार का अंशदान, वित्तीय वर्ष 2012 के अंत में 85**%** से बढ़कर वर्ष 2013 के अंत में 92 **%** और वर्ष 2014 के अंत में और बढ़कर 97 **%** हो गया है । राज्य सरकार के ऋण, जो कि नियोजित पूंजी में दूसरा सबसे बडा संघटक है, वित्तीय वर्ष 2012 के अंत में 11.37 **%** से घट कर वर्ष 2013 और वर्ष 2014 के अंत में 9.37 **%** रह गए हैं । उपरोक्त आंकडों से ऐसा पता चलता है कि प्रयोज्यता, अपनी पूंजी की आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकारों की बजाए बाजार के स्रोतों पर अधिक विश्वास कर रहे हैं ।

(अनुबंध **2.2.1 to 2.2.3)**

2.2 निवल मूल्य

इस क्षेत्र में कुल इक्विटी निवेश, 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति के अनुसार 1,60,975 करोड़ रुपए, 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार 1,**88,397** करोड़ रुपए,31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार 2,14,701 करोड़ रुपए है जो कि वर्ष 2013-14 में 1**4** प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार **(**एनबीपीडीसीएल, एसबीपीडीसीएल और बीएसपीटीसीएल**)**, हरियाणा (एचपीजीसीएल और एचवीपीएनएल) और महाराष्ट्र (एमएसपीजीसीएल और एमएसडीसीएल) के विद्युत संस्थाओं की इक्विटी में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

निवल मूल्य निरंतर नकारात्मक रहा है जो कि 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार 1,73,400 करोड़ रुपए से घट कर 1,06,655 करोड़ रुपए हो रह है ।

(अनुबंध 2.2.0)

2.3 उधार ली गई निधि

राज्य सरकार के बकाया ऋण 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति अनुसार 52,680 करोड़ रुपए से घट कर 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार 47,**170** करोड़ रुपए हो गए थे जो 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति अनुसार बढ़कर **52,769** करोड़ रुपए से हो गए । वर्ष 2014 के दौरान उपयोज्यताओं की बैंकों/वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण, बॉण्ड और डिबेंचर और अन्य ऋण, कुल राशि का लगभग 91 प्रतिशत बनते हैं । ये ऋण 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति अनुसार **3,92,298** करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार **4,62,688** करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति अनुसार **5,45,922** करोड़ रुपए से हो गए ।

(अनुबंध 2.2.1 से 2.2.3)

2.4 निवल अचल परिसम्पतियां और पूंजी डब्ल्यूआईपी (सीडब्ल्यूआईपी)

निवल अचल परिसम्पतियां, 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति अनुसार **3,32,429** करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार **3,79,148** करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति अनुसार **4,41,433** करोड़ रुपए हो गई । सीडब्ल्यूआईपी सहित ठेकेदारों को दिए गए अग्रि राशि, 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति अनुसार **1,33,048** करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार **1,51,371** करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति अनुसार **1,60,318** करोड़ रुपए गई ।

(अनुबंध 2.3.0 और 2.4.0)

2.5 पूंजीगत व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान पूंजीगत व्यय **71,983** करोड़ रुपए का था जो कि वर्ष 2012-13 में बढ़कर 86,943 करोड़ रुपए को हो गया लेकिन वर्ष 2013-14 में यह घट कर 83,**041** करोड़ रुपए रह गया । वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने अपने समग्र पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि दर्शाई है ।

(अनुबंध 2.5.0)

2.6 विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्त करने योग्य

क्षेत्र निरंतर उच्च स्तर की प्राप्त करने योग्य राशि से नियंत्रित रहा है ।

विद्युत संस्थाओं की कुल प्राप्त करने योग्य राशि (जिसमें बिल नहीं किया गया राजस्व शामिल नहीं है), 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार **79,116** करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति अनुसार **86,072** करोड़ रुपए हो गई । विद्युत की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि की अवधि (दिनों की संख्या) वित्तीय वर्ष 2013 की तुलना में 95 दिनों से घट कर वर्ष 2014 में 92 दिन हो गई ।

(अनुबंध 2.6.1)

नीचे तालिका में उपभोक्ताओं का सीधे बेचने वाले विद्युत संस्थाओं की प्राप्तकरने योग्य राशि की स्थिति दर्शाई गई है ।

सीमा	विद्युत संस्थाओं की संख्या	
	2012-13	**2013-14**
60 दिनों से कम	**19**	**18**
60 और **90** दिनों के बीच	**9**	**11**
90 दिनों से अधिक	**27**	**26**

वित्तीय वर्ष 2014 के अंत में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश (एपीएनपीडीसीएल को छोड़ कर) की डिस्कॉम्स, एचपीएसईबी लिमिटेड, पीएसपीसीएल, टीएएनजीईडीसीओं और मिजोरम पीडी के पास 60 दिनों से कम अवधि की प्राप्त करने योग्य राशि है ।

31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार जिन विद्युत संस्थाओं की प्राप्त करने योग्य राशिकी अवधि का उच्च स्तर 200 दिनों से अधिक है, वे हैं :सीईएसयू, सिक्किम पीडी,अरूणाचल प्रदेश पीडी,मणिपुर पीडी, एमईपीडीसीएल, उत्तर प्रदेश में डिस्कॉम्स (पश्चिम आंचल वीवीएनएल के सिवाय), सीएचईएससीओएम और एमपी मध्य प्रदेश क्षेत्र वीवीसीएल ।

जेनकोस, ट्रांसकोस और ट्रेडिंग कंपनियों के लिए विद्युत की बिक्री/ट्रांसमिशन के लिए ऋण की राशि, 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार **74,567** करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति अनुसार **79,848** करोड़ रुपए हो गई । विद्युत की बिक्री/ट्रांसमिशन के लिए प्राप्त करने योग्य राशि की अवधि (दिनों की संख्या), वर्ष 2012-13 में 160 दिनों से

मामूली घट कर वर्ष 2013-14 में 158 दिन हो गई । 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार जिन विद्युत संस्थाओं की प्राप्त करने योग्य राशि की अवधि 120 दिनों से अधिक है, वे हैं :ओएचपीसी, एईजीसीएल, दिल्ली के प्रयोज्यता, जेएवंके, पीडीसीएल, यूजेवीएनएल, केपीसीएल, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, यूपीजेवीएनएल, यूपीपीटीसीएल और टीएएनटीआरएएनएससीओ ।

(अनुबंध 2.6.2)

2.7 विद्युत की खरीद के लिए खरीदारी

उपभोक्ताओं को सीधे बेचने वाले विद्युत संस्थाओं द्वारा विद्युत की खरीदारी के लिए देय राशि, 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति अनुसार 1,07,236 करोड़ रुपए से घट कर 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति अनुसार 1,02,**640** करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति अनुसार यह और घट कर 1,00,034 करोड़ रुपए रह गई । विद्युत की खरीदारी के लिए लेनदारियां, वित्तीय वर्ष 2012 में 148 दिन से घट कर वित्तीय वर्ष 2013 में 121 दिन और वित्तीय वर्ष 2014 में और घट कर 108 दिन रह गई ।

(अनुबंध 2.7.1)

अध्याय 3

लाभप्रदता और पूंजी ढांचे के अनुपात का विश्लेषण

3.0 भूमिका

वित्तीय अनुपात प्रयोज्यता के अनेक पहलुओं की मात्रा का निर्धारण करता है और प्रयोज्यतओं के बीच तुलना करने का अवसर प्रदान करता है ।

इस भाग में लाभप्रदता, प्रचालनात्मक क्षमता और वित्तीय उत्तोलन का उल्लेख किया गया है ।

3.1 इक्विटी पर आय

जिन 14 विद्युत संस्थाओं की वर्ष 2013-14 के दौरान इक्विटी पर आय (बुक की गई सब्सिडी के आधार पर पीएटी माना गया है) **12%** से अधिक थी, वे हैं, ओपीजीएल, डब्ल्यूएसईटीसीएल, इन्द्रप्रस्थ प्रगति, टीपीडीडीएल, पीएसटीसीएल, यूटीपीसीएल, एपीजीईएनसीओ, एपीटीआरएएनएससीओ, पुद्दुचेरी पीसीएल, टीएएनटीआरएएनएससीओ, डीजीवीसीएल, जीईटीसीओ और एमएसईटीसीएल ।

(अनुबंध 3.1.0)

विगत दो वर्षों में इक्विटी पर आय की सीमा और उसके वितरण को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

इक्विटी पर आय	विद्युत संस्थाओं की संख्या	
	2012-13	**2013-14**
1% से कम	**6**	**5**
1% से **5%** तक	**12**	**11**
5% से **12%** तक	**12**	**8**
12% से अधिक	**12**	**14**
नकारात्मक	**44**	**49**

3.2 निवल मूल्य पर आय

वर्ष 2013-14 के दौरान जिन **8** विद्युत संस्थाओं के निवल मूल्य पर आय (बुक की गई सब्सिडी के आधार पर पीएटी माना गया है) **12%** से अधिक थी, वे हैं : डब्ल्यूबीएसईटीसीएल, जेएवंकेपीडीसीएल, पीएसटीसीएल, यूपीजेवीएनएल, एपी जीईएनसीओ, बीईएससीओएम और एमएसईटीसीएल ।

विगत दो वर्षों में निवल मूल्य पर आय की सीमा और उसके वितरण के नीचे तालिका में दर्शाया है :

सीमा	विद्युत संस्थाओं की संख्या	
	2012-13	**2013-14**
1% से कम	**8**	**7**
1% से **5%** तक	**17**	**13**
5% से **12%** तक	**8**	**10**
12% से अधिक	**7**	**8**
नकारात्मक	**56**	**57**

(अनुबंध 3.1.0)

3.3 नियोजितपूंजी पर आय

नियोजितपूंजी पर आय, ऐसी आय का एक ऐसा पैमाना है जो कि कंपनी नियोजित कुल पूंजी पर सृजित करती है । इसका अनुपात ऐसी क्षमता का परिचायक है जिससे पूंजी का उपयोग राजस्व सृजित करने के लिए किया जा रहा है ।

विगत दो वर्षों में नियोजितपूंजी पर आय की सीमा और उसके वितरण का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है : -

नियोजितपूंजी पर आय	विद्युत संस्थाओं की संख्या	
	2012-13	**2013-14**
1% से कम	**5**	**5**
1% से **12%** तक	**44**	**47**
12% से अधिक	**7**	**8**
नकारात्मक	**39**	**35**

(अनुबंध 3.2.0)

3.4 ऋण इक्विटी अनुपात

31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार **57** विद्युत संस्थाओं का निवल मूल्य सकारात्मक रहा है, जबकि **39** विद्युत संस्थाओं का निवल मूल्य नकारात्मक रहा है ।

वर्ष 2013-14 में देखे गए ऋण इक्विटी अनुपात की सीमा नीचे दर्शाई गई है **2013-14:**

ऋण इक्विटी की सीमा	विद्युत संस्थाओं की संख्या
1 से कम	**15**
1 से **2.33** तक के बीच	**25**
2.33 से **3.5** तक के बीच	**7**
3.5 से अधिक	**9**
नकारात्मक	**35**

(अनुबंध 3.3.0)

अध्याय 4

वास्तविक प्रचालों का कार्य-निष्पादन

4.0 भूमिका

देश की कुल संस्थापित क्षमता 31 मार्च, 2014 में **2,45,259** एमडब्ल्यू की तुलना में 31 मार्च, 2015 तक की स्थिति अनुसार **2,71,722** एमडब्ल्यू थी । इस समय संस्थापित क्षमता में राज्य क्षेत्र का अंशदान लगभग 65 **%** है, केन्द्रीय क्षेत्र का लगभग 27 **%** और निजी क्षेत्र का लगभग 38 **%** है । अनेक वर्षों से देश में निजी क्षेत्र के उत्पादन में अंशदान स्थिर वृद्धि दर्शाई है ।

(स्रोत: सीईए)

4.1 स्थापित क्षमता **(एमडब्ल्यूएच)**

रिपोर्ट में शामिल की गई क्षमता के अनुसार विद्युत क्षेत्र में विद्युत संस्थाओं की सकल संस्थापित क्षमता, 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार 83,**048** एमडब्लयू है जो कि 31 मार्च, 2013 तक की **77,865** एमडब्ल्यू की क्षमता की तुलना में **6.66%** की वृद्धि दर्शाती है । वर्ष 2013-14 के दौरान मुख्य क्षमता संवर्धन, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपीपीजीसीएल, टीएएनजीईडीसीओ, जीएसईएल, यूपीआरवीयूएनएल, सीएसपीजीसीएल, एमएसपीजीसीएल और आरआरवीयूएनएल में हुआ है । कुल संस्थापित क्षमता में थर्मल, हाईडल और गैस क्षमता का अंशदान क्रमश: **61%, 31%** और **6%** है ।

(अनुबंध 4.1.0, 4.1.1 से 4.1.3)

4.2 उत्पादन **(एमकेडब्ल्यूएच)**

उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है जो कि वर्ष **2012-13 3,49,907** एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष **2013-14** में **3,52,138** एमकेडब्ल्यूएच हो गई । थर्मल उत्पादन निरंतर मुख्य आधार बना हुआ है जो कि वर्ष 2013-14 में कुल उत्पादन का **73%** है, हाईडल उत्पादन **22%** और गैस आधारित उत्पादन 4**%** है ।

ओएचपीसी, केएसईबी/केएसईबी लिमिटेड, एमईपीजीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल, टीएएनजीईडीसीओ, केपीसीएल, सिक्किम पीडी, एचपीएसईबी लिमिटेड, एचवीपीएनएल और पुद्दुचेरी पीसीएल ऐसे प्रयोज्यता हैं जिन्होंने वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान कुल उत्पादन में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की वृद्धि दर्शाई है ।

(अनुबंध 4.2.0, 4.2.1 to 4.2.3)

वर्ष के दौरान हाईडल उत्पादन में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि वर्ष 2012-13 में 60,220 एमकेडब्ल्यूएच था जो कि वर्ष 2013-14 में बढ़कर 76,756 एमकेडब्ल्यूएच हो गया । जिन विद्युत संस्थाओं ने हाईडल उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाई है, वे हैं : एपी जेनको,केएसईबी/केएसईबी लिमिटेड, ओएचपीसी, टीएएनजीईडीसीओ, एमएसपीजीसीएल, एमपीपीजीसीएल, एचवीपीएनएल, जीएसईसीएल, एचपीएसईबी लिमिटेड, एमईपीजीसीएल और एपीजीसीएल ।

थर्मल उत्पादन, वर्ष 2012-13 के दौरान **2,69,272** एमकेडब्ल्यूएच की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान **2,57,835** एमकेडब्ल्यूएचथा । थर्मल उत्पादन में जिन विद्युत संस्थाओं ने वृद्धि दर्शाई है, वे हैं ; यूपीआरवीयूएनएल, टीएएनजीईडीसीओ, टीएएनजीईडीसीओ, केपीसीएल और सीएचपीजीसीएल ।

(अनुबंध 4.2.1 to 4.2.3)

4.3 विद्युत की खरीद (एमडब्ल्यूएच)

उपभोक्ताओं को सीधे बेचने वाले विद्युत संस्थाओं द्वारा खरीदी गई विद्युत, वर्ष 2012-13 के दौरान **7,86,596** एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2014-14 में **8,20,040** एमकेडब्ल्यूएच हो गई ।

(अनुबंध 4.5.0)

4.4 विद्युत की बिक्री (एमडब्ल्यूएच)

उपभोक्ताओं को सीधे बेचने वाले विद्युत संस्थाओं के लिए विद्युत की बिक्री, वर्ष 2012-13 के दौरान **6,57,248** एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2014-14 में **6,95,924** एमकेडब्ल्यूएच हो गई । इस प्रकार इसमें 5.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(अनुबंध 4.6.0)

4.5 सकल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे (एटी एंड सी)

सीईए के परामर्श से तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों (एटी एंड सी) का परिकलन करने की कार्यप्रणाली बनाई गई है । तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे (एटी एंड सी), बिक्री के लिए उपलब्ध एनर्जी (ट्रांसमिशन के घाटों और एनर्जी के व्यापार के लिए समायोजित) (एमकेडब्ल्यूएच) और प्राप्त की गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) के बीच व्याप्त अंतर का परिचायक

है और इसलिए इसे रिपोर्ट में विद्युत संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए मुख्य प्राचल के रूप में अपनाया गया है । प्राप्त की गई ऊर्जा, बुक की गई ऊर्जा है (जिसे ऊर्जा के व्यापार के लिए समायोजित किया जाता है) जिसे वसूली क्षमता के लिए कारक माना जाता है । वसूली क्षमता, बिलों की वसूली में क्षमता का एक सूचक है जो कि विगत वर्षों की ही तरह वर्तमान में भी विद्यमान है और यह प्राप्त करने योग्य राशि के वर्ष-दर-वर्ष चलन की स्थिति पर मुख्यतया संकेंद्रित होता है।

यह नोट किया जा सकता है कि अनेक राज्यों में अभी भी अधिकतर उपभोक्ताओं के लिए विद्युत मीटरों की व्यवस्था नहीं है और वार्षिक लेखाओं में तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों (एटी एंड सी) का परिकलन करने के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है । ऐसी सूचना विद्युत संस्थाओं से प्राप्त की जाती है । इसलिए तकनीकी और वाणिज्यिक हानि (एटी एंड सी) से संबंधित सूचना का उपयोग करते समय उपयुक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी ।

4.5.1 तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे (एटी एंड सी)

राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत बेचने वाले विद्युत संस्थाओं के तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे (एटी एंड सी),वर्ष 2012-13 में **25.45%** से घट कर वर्ष 2013-14 में **22.70%** रह गए । उनकी समग्र वसूली क्षमता में वृद्धि हुई है, जो कि वर्ष 2012-13 में **94.36%** से बढ कर वर्ष 2013-14 में **97**.35 **%** हो गई ।

उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत बेचने वाले विद्युत संस्थाओं के वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों (एटी एंड सी) का क्षेत्र-वार औसत नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

%

क्षेत्र	**2012-13**	**2013-14**
पूर्वी	**42.04**	**38.02**
पूर्वोत्तर	**38.31**	**33.94**
उत्तरी	**28.89**	**24.86**
दक्षिणी	**17.40**	**19.08**
पश्चिमी	**23.36**	**18.37**
राष्ट्रीय	**25.45**	**22.70**

सभी क्षेत्रों ने तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों (एटी एंड सी) के स्तर में सुधार किया है । पश्चिमी क्षेत्र ने वर्ष 2013-14 में तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे सबसे कम दर्शाए हैं जो कि **18.37%** हैं।

(अनुबंध **4.7.1 to 4.7.3)**

जिन राज्यों में वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे (एटी एंड सी) कम हुए हैं, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं ।

कमी की मात्रा	राज्यों की संख्या	राज्यों के नाम
0-2 %	**4**	छत्तीसगढ, असम, दिल्ली और मेघालय
2-4 %	**5**	गुजरात, ओडिशा, गोवा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल
4% से अधिक	**8**	मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तराखंड

जिन राज्यों में वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों (एटी एंड सी) में वृद्धि हुई है, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं ।

वृद्धि की मात्रा	राज्यों की संख्या	राज्यों के नाम
0-2 %	**5**	पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा
2-4 %	**2**	त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश
4% और उससे अधिक	**6**	केरल, मिजोरम, राजस्थान, पुद्दुचेरी, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम

(अनुबंध **4.7.1 to 4.7.3)**

अध्याय 5

खपत पैटर्न और राजस्व में योगदान का विश्लेषण

5.0 भूमिका

इस भाग में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की विद्युत की बिक्री का एमकेडब्ल्यूएच और रूपयों में, कुल बिक्री में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के हिस्से तथा श्रेणीवार-उपभोक्ता राजस्व आदि का विश्लेषण किया गया है ।

यह नोट किया जा सकता है कि सभी राज्योंमें कुछ श्रेणियों में अनके उपभोक्ताओं के लिए अभी भी विद्युत मीटरों की व्यवस्था नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त वार्षिक लेखाओं में अनेक मामलों में सूचना उपलब्ध नहीं है और इसे विद्युत संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है । इस प्रकार इस अध्याय में निर्दिष्ट सूचना और तत्संबंधी तालिकाओं में दी गई सूचना का उपयोग करते समय उपयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी ।

5.1 विद्युत की बिक्री

सीधे उपभोक्ताओं को विद्युत बेचने वाले सभी विद्युत संस्थाओं द्वारा बेची गई एनर्जी वर्ष 2012-13 में **6,57,248** एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2013-14 में **6,95,924** एमकेडब्ल्यूएच हो गई जो कि **5.88%** की रिकॉर्ड वृद्धि होना दर्शाती है ।

जबकि उपरोक्त अनुसार बेची गई एनर्जी (एमकेडब्ल्यूएच) में **5.88%** की वृद्धि दर्ज हुई है, विद्युत की बिक्री से प्राप्त हुए राजस्व में भी **14.08%** की उच्चतर दर वृद्धि हुई है जो कि वर्ष 2012-13 में **2,88,641** करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2013-14 में **3,29,278** हुआ है जिससे बेहतर राजस्व वसूली का पता चलता है ।

(अनुबंध 1.1.0)

बिक्री के विभिन्न प्राचलों का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित भागों में प्रस्तुत किया गया है ।

5.2 विश्लेषण में कवरेज

वर्ष **2011-12** से **2013-14** तक की अवधि के लिए बेची गई एनर्जी (एमकेडब्ल्यूएच) और विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपए) के श्रेणी-वार उपभोक्कताओं के ब्यौरे,सभी विद्युत संस्थाओं के लिए (एमईपीडीसीएल के वर्ष 2013-14 में विद्युत की बिक्री से प्राप्त राज्स्व को छोड़ कर) उपलब्ध हैं ।

5.3 कृषि उपभोक्ताओं को बिक्री

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल बेची गई एनर्जी (एमकेडब्ल्यूएच) में कृषि उपभोक्ताओं को बेची गई एनर्जी का अंश लगभग **20%** था । वर्ष 2013-14 में कुल राजस्व में कृषि उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राजस्व का अंश लगभग 8**%** था ।

(अनुबंध 5.5.1 & 5.6.1)

5.4 औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल बेची गई एनर्जी (एमकेडब्ल्यूएच) में औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेची गई एनर्जी का अंश लगभग **29%** था । वर्ष 2013-14 में कुल राजस्व में औद्योगिक उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राजस्व का अंश, लगभग 41 **%** था।

(अनुबंध 5.5.1 & 5.6.1)

5.5 संकर सब्सिडी

वर्ष 2013-14 में प्रमुख कृषि उपभोक्ताओं वाले विद्युत संस्थाओं के संकर सब्सिडाईजेशन के स्तर का पता, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं को बेची गई एनर्जी की मात्रा की तुलना में उनसे प्राप्त हुए राजस्व का तुलनात्मक विश्लेषण करने से चलता है ।

राज्य	कृषि (बेची गई कुल एनर्जी का % - एमकेडब्ल्यूएच)	कृषि (कुल राजस्व करोड़ रुपए का %)	औद्योगिक (बेची गई कुल एनर्जी का % - एमकेडब्ल्यूएच)	औद्योगिक (कुल राजस्व करोड़ रुपए का %)
हरियाणा	**24%**	**2%**	**26%**	**35%**
कर्नाटक	**36%**	**21%**	**22%**	**28%**
राजस्थान	**41%**	**32%**	**23%**	**29%**
पंजाब	**27%**	**-**	**33%**	**52%**
आंध्र प्रदेश	**29%**	**2%**	**30%**	**47%**
महाराष्ट्र	**14%**	**13%**	**36%**	**41%**
गुजरात	**25%**	**13%**	**42%**	**59%**
तमिलनाडु	**20%**	**-**	**25%**	**51%**
मध्य प्रदेश	**35%**	**13%**	**19%**	**38%**
उत्तर प्रदेश	**17%**	**7%**	**25%**	**42%**

उपरोक्त तालिका से औद्योगिक उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं की संकर सब्सिडी का पता चलता है।

5.6 उपभोक्ता श्रेणी-वार ब्यौरे

बेची गई एनर्जी(एमकेडब्ल्यूएच) और अर्जित के श्रेणी-वार उपभोक्ता के ब्यौरे में संलग्न अनुबंध **5.2.1** से **5.2.9** में दिए गए हैं ।

बेची गई कुल एनर्जी/एनर्जी राजस्व(एमकेडब्ल्यूएच और रूपयों) में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के प्रतिशत अंशदान को संलग्न अनुबंध **5.3.1** से **5.3.6.**में दर्शाया गया है ।

अध्याय 6

सुधारों और पुनर्निर्माण की स्थिति

6.0 भूमिका

हाल ही के वर्षों में अनेक राज्यों ने अपने राज्य विद्युत संस्थाओं के वार्षिक कार्य-निष्पादन में सुधार किया है, राज्यों के विद्युत संस्थाओं को खंडों में विभाजित कर दिया है, अधिक स्वतंत्र नियमित विनियामक प्रणालियां सृजित की हैं तथा घाटों और चोरी को रोकने के लिए कारगर उपाय किए हैं । इस भाग में विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र के सुधारों की स्थिति का विश्लेषण किया गया है ।

6.1 **30** जून, 2015 तक की स्थिति के अनुसार सुधारों और पुनर्निर्माण की स्थिति

- सभी राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से परामर्श किया गया है । दो संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचित किए गए हैं, एक मिजोरम और मणिपुर के लिए तथा दूसरा गोवा और केंद्र शासित क्षेत्रों नामत: अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा पुद्दुचेरी के लिए ।

- सभी राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने प्रचालन कार्य करना शुरू कर दिया है । गोवा और केंद्र शासित क्षेत्रों में स्थापित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है ।

- बाईस राज्यों ने अपने विद्युत संस्थाओं को खंडों में विभाजित कर दिया है । त्रिपुरा विद्युत विभाग को त्रिपुरा राज्य इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बतौर तथा केरल राज्य विद्युत बोर्ड को केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के बतौर विभाग निगमित कर दिया गया है ।

30 जून, 2015 तक की स्थिति के अनुसार सुधारों और पुनर्निर्माण की स्थिति के ब्यौरे संलग्न तालिका **III** में दिए गए हैं ।

तालिका 3 - **30** जून, 2015 तक की स्थिति के अनुसार राज्यों में सुधारों और पुनर्निर्माण की स्थिति

	लक्ष्य	अरुणाचल प्रदेश	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	दिल्ली	गुजरात	गोवा	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मूऔर कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मेघालय	मणिपुर	मिजोरम	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	नागालैंड	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	तेलंगाना	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	पश्चिम बंगाल	कुल
1.0	एसईआरसी																															
क	गठित	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**30**
ख	प्रचालन	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**30**
ग	खुले अधिगमन के विनियम	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**30**
2.0	गैर-सामूहिकीकरण/ सामूहिकीकरण																															
क	गैर-सामूहिकीकरण/ सामूहिकीकरण - क्रियान्वयन		√	√	√	√	√	√	□	√	√		√	√	*	√	√	□	√	√	□	√	√	√		√	√	*	√	√	√	**22**
ख	संवितरण का निजीकरण						√															√										**2**

टिप्पणी :

*त्रिपुरा विद्युत विभाग को त्रिपुरा राज्य विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में तथा केरल राज्य विद्युत बोर्ड को केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के रूप में सामूहिकीकृत कर दिया गया है ।

जेईआर गठित की गई हैं : **(1)** मणिपुर और मिजोरम ; **(2)** केंद्र शासित प्रदेश और गोवा